विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1969-70

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 18 के
अनुपालन में भारत सरकार को प्रस्तुत

-5a
378.5a
UNI-R

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली
(भारत)

नोट

रिपोर्ट में संख्याएँ पूर्णांकों में दी गई हैं

1 लाख = 1,00,000

1 करोड़ = 1,00,00,000 = 10 मिलियन

जून, 1971

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित तथा सनलाईट प्रेस, फव्वारा, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1969-70

NIEPA DC

D06248

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 18 के
अनुपालन में भारत सरकार को प्रस्तुत

नई दिल्ली

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6248
Date 8/7/91

VIS-V

378.006
VIS-67-5

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1969-70

प्रोफेसर डी० एस० कोठारी (अध्यक्ष)

डा० ए० एस० अडके, कुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय

श्री जी० के० चन्दीरमानी, अपर सचिव, शिक्षा और युवक मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमति इंदुमती चमनलाल

डा० एस० धवन, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर

डा० पी० बी० गजेन्द्रगड़कर, कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय

प्रोफेसर ए० बी० लाल, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रोफेसर तापस मजुमदार

श्री पी० गोविन्दन् नायर, सचिव, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार

श्री आर० के० छाबड़ा (सचिव)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्रवेश	1
2.	नये विश्वविद्यालय	3
3.	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ	4
4.	विश्वविद्यालयी स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र	5
5.	परीक्षा-सुधार	5
6.	शिक्षा का माध्यम	8
7.	विश्वविद्यालय को अनुदान	9
8	कालेजों को सहायता	20
9.	अध्यापकों के लिए कार्यक्रम	28
10.	छात्रों के मामले	37
11.	समितियाँ और सम्मेलन	45
12.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विदेशी सहायता	51
13.	विदेशी मुद्रा	54
14.	निष्कर्ष	55

परिशिष्ठ

I.	भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ : 1969-70	58
II.	पाठ्यक्रम के अनुसार कालेजों का वितरण : 1965-66 से 1969-70	62
III..	छात्रों की भरती में वृद्धि : 1959-60 से 1969-70	63
IV..	छात्रों की भरती : संकायवार : 1967-68 से 1969-70	64
V.	छात्रों की भरती : स्तरवार : 1967-68 से 1969-70	65
VI..	विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और उनका पदवार वितरण : 1965-66 से 1969-70	66
VII.	संबद्ध कालेजों में अध्यापकों की पदनामवार संख्या : 1965-66 से 1969-70	67
VIII.	जो डिग्रीयाँ दी गईं : 1964-65 से 1966-67	68
IX..	उच्चतर अध्ययन केन्द्र	70
X.	संकायवार भरती : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज : 1969-70	72

XI. स्तरवार भरती : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज : 1969-70 73
XII. कालेजों के दिए गए विकास-अनुदान 1969-70 74
XIII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुलपतियों की सलाहकार समिति 75
XIV. व्यय : योजनागत तथा योजनेतर परियोजनाएँ : 1969-70 76

चार्ट

चित्र—1. विश्वविद्यालय नामांकन : 1959-60 से 1969-70 77
चित्र—2. संकायवार नामांकन : 1967-68 से 1969-70 78
चित्र—3. विभिन्न स्तरों पर नामांकन : 1967-68 से 1969-70 79
चित्र—4. स्नातकोत्तर नामांकन : 1959-60 से 1969-70 80
चित्र—5. अनुसंधान नामांकन : 1959-60 से 1969-70 81
चित्र—6. पद के अनुसार शिक्षकों का वितरण : 1969-70 82
चित्र—7. शिक्षकों का संकायवार वितरण : 1969-70 83

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

[अप्रैल 1969 से मार्च 1970]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अनुसार हम संसद के सामने रखने के लिए आयोग के 1969-70 के काम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं।

समीक्षाधीन अवधि में आयोग की सदस्यता में कुछ परिवर्तन हुए। उसमानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डा० डी० एस० रेड्डी 30 अप्रैल, 1969 को सेवानिवृत्त हो गये और उनके स्थान पर 2 अगस्त, 1969 को प्रोफेसर ए० बी० लाल, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आयोग के सदस्य नियुक्त किये गये। बंगलोर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी० के० गोकाक 10 अक्तूबर, 1969 को सेवानिवृत्त हो गये और 13 जनवरी, 1970 को उनकी जगह डा० ए०एस० अडके, कुलपति, कर्नाटक विश्वविद्यालय, आयोग के सदस्य नियुक्त हुए।

डा० डी० एस० रेड्डी और प्रोफेसर बी० के० गोकाक ने सदस्यों के रूप में अपने कार्य-काल में आयोग को जो बहुमूल्य सहायता और सलाह दी, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

प्रवेश

इधर के वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से वृद्धि और विस्तार हुआ है। यह बात आगे दिये गये तथ्यों और आँकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की संख्या (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3)	कालेजों की संख्या	विद्यार्थियों के नामांकन*
1961	46	3	1,783	11,55,380
1966	68	9	2,749	19,49,012
1969	79	10	3,297	27,92,630

1961 में केवल 46 विश्वविद्यालय थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ केवल 3 थीं। 1970 तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 79** और विश्वविद्यालय मानी जानी वाली संस्थाओं की संख्या 10*** हो गई थी। विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यानय मानी जाने वाली संस्थाओंकी एक काल क्रमानुसार सूची परिशिष्ट-I में दी गई है जिसमें उनकी छात्र - संख्याओं का भी उल्लेख किया गया है।

कालेजों की संख्या 1961 में 1,783 थी, 1966 में यह बढ़कर 2.749 और 1969 में 3,297 हो गई। 1965-66 से 1969-70 के बीच पाठ्यक्रमानुसार कालेजों का वितरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 1961-62 में छात्रों की संख्या 11.55 लाख थी, 1966-67 में यह बढ़कर 19.49 लाख हो गई और 1969-70 में और बढ़ोतरी होकर छात्रों की संख्या 27.93 लाख तक पहुँच गई। पिछले चार वर्षों में वृद्धि की औसत दर

*इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंटरमीडिएट कक्षा में भरती किये गये छात्रों की संख्या भी शामिल है।

**नवंबर, 1970 तक आते-आते देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 83 हो गई है।

***अब यह संख्या 9 रह गई है क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली — जो पहले विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्था थी—अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अभिन्न अंग बन गई है।

लगभग 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा कृषि के क्षेत्र में छात्रों की भारती में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परिशिष्ट-III से V तक जो विवरण दिये गये हैं उनमें संकाय्यवार और शिक्षण-स्तर के अनुसार छात्रों की संख्या की वार्षिक वृद्धि और नामांकन की प्रवृत्तियों का संकेत मिलता हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र-नामांकन 1961-62 में 67,610 था, 1966-67 में यह संख्या बढ़कर 1,01,798 और 1969-70 में 1,46,804 हो गई। शोध के क्षेत्र में 1961-62 में छात्रों की संख्या 5,249 थी, 1966-67 में यह बढ़कर 9,668 और 1969-70 में 12,474 हो गई।

विश्वविद्यालय-विभागों तथा कालेजों में अध्यापकों* की संख्या 1961-62 में 63,053 थी, फिर 1966-67 में बढ़कर 93,251 हुई और 1969-70 में और बढ़कर 1,19,052 हो गई। विश्वविद्यालयों और कालेजों में पदनाम के अनुसार अध्यापक-वर्ग की संख्या और वितरण का लेखा-जोखा परिशिष्ट VI और VII में दिया गया है।

हाल के वर्षों में, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा-शास्त्र, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकों की संख्या में प्रतिशत जो वृद्धि हुई है, वह महत्त्वपूर्ण है। 1964-65 से 1966-67 तक की अवधि में विभिन्न संकायों में जो डिग्रियाँ दी गईं उनका उल्लेख परिशिष्ट VIII में किया गया है।

विविध स्तरों पर शैक्षिक प्रयत्न की मात्रा और विविधता में जो वृद्धि हुई है वह उल्लेखनीय है। विकास और विस्तार की असाधारण गति के कारण यह तो आवश्यक हो गया है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर और मानदण्डों की रक्षा और उनका उन्नयन हो, साथ ही यह भी आवश्यक है कि मौजूदा सुविधाओं का भरपूर विस्तार हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ हैं उसकी चुनौती का सामना करने के लिए, और शैक्षिक उपलब्धि के स्तर और गुणता के उन्नयन के लिए, आयोग ने अपने सीमित साधनों के बूते पर सुयोजित और अनवरत प्रयास किये हैं। इस वर्ष आयोग ने जो नीतियाँ बनाई और जिन कार्यक्रमों पर अमल किया, उनकी जानकारी नीचे दी जा रही है।

2. नये विश्वविद्यालय

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में आयोग की नीति का वर्णन विस्तार से 1968-69 की रिपोर्ट में किया गया था। आयोग का दृष्टिकोण यह रहा है कि नये विश्वाविद्यालय की स्थापना में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके लिए अनिवार्य

---

*इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडियट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध इंटरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापक शामिल नहीं किये गये हैं।

साधन किस सीमा तक उपलब्ध हैं और प्रस्तावित विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर और गुणता के उन्नयन में कितना योग दे सकता है। उच्चतर शिक्षा के सुयोजित विकास और अखिल भारतीय स्तर पर उसके समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि आयोग से सलाह मशविरा किये बिना, और उसकी सहमति के बिना, कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाये।

1969-70 में आयोग के पास नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव आये। सम्बद्ध तथ्यों और अन्य बहुत सी बातों को दृष्टि में रख कर उन पर विचार किया गया। अमृतसर और हिमाचल प्रदेश में एक एक विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव मान लिये गये।

आयोग के पास जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव यह भी आया कि श्रीनगर में जो विश्वविद्यालय है उसके अलावा एक विश्वविद्यालय जम्मू में भी स्थापित किया जाये। बाद में राज्य सरकार ने जम्मू में एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में एक अध्यादेश जारी किया।

आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर भी विचार किया कि भोपाल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। आयोग ने यह अनुभव किया कि मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों के काम-काज करते रहने के लिए जो धनराशि दी जाती है, वह सर्वथा अपर्याप्त होती है और जब तक उससे कहीं अधिक साधन उपलब्ध न हों तब तक विश्वविद्यालय यथोचित रीति से अपना काम-काज नहीं चला सकते। इसलिए सुझाव दिया गया कि मध्यप्रदेश सरकार इस बात पर विचार करे कि मौजूदा विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण-अनुदान की धनराशि बढ़ाकर लगभग 1 करोड़ रु० कर दी जाए और पाँच वर्ष की अवधि में इसे बढ़ाकर 1.5 से 2 करोड़ रु० तक कर दी जाये। यह बात भारत सरकार को भी बता दी गई और राज्य-सरकार का ध्यान भी इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया।

3. विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ

देश की वैविध्यपूर्ण शिक्षा-प्रणाली में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जिनकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार तो वे ही हों जो प्रायः विश्वविद्यालयों को प्राप्त होते हैं परन्तु जिनके कार्य और क्षेत्र अधिक विशिष्ट और सीमित हों। 1969-70 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की संख्या 10 थी।

आयोग ने पहले यह फैसला किया था कि विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं के काम-काज की आवधिक समीक्षा की जाया करे। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसिज़, बम्बई के काम की जाँच के लिए जो समितियाँ नियुक्त की गई थीं उनकी रिपोर्टें विद्यापीठ और इंस्टीट्यूट को भेजी गईं ताकि वे उनके बारे में अपने विचार प्रकट करें। 1969-70 में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेकनोलॉजी एण्ड साइन्स,, पिलानी तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के काम की जाँच करने के लिए समितियाँ नियुक्त की गईं।

एक प्रस्ताव यह भी आया कि स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय मानी जानी वाली संस्था घोषित कर दिया जाये। इसके बारे में आयोग का विचार यह रहा कि पहले इस संस्था को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ मिलाने की संभावना की जाँच की जाये।

4. विश्वविद्यालयी स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र

आयोग इस बात का समर्थन करता है कि सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत और पास पड़ौस में स्थित कालेजों के सहयोग से समुचित स्थानों पर स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास हो। आशा है ऐसे केन्द्र स्नातकोत्तर धरातल पर शैक्षिक स्तरों की रक्षा करने और उन्हें ऊंचा उठाने में सहायक होंगे।

आयोग अनंतपुर (श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय), गुंटूर (आंध्र विश्वविद्यालय), बंगलोर (मैसूर विश्वविद्यालय), रोहतक और शिमला (पंजाब विश्वविद्यालय) तथा वारंगल (उसमानिया विश्वविद्यालय) में स्नातकोत्तर-अध्ययन-केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकार कर चुका है। कोयंबतूर, तिरूचिरापल्ली तथा गुलबर्गा में स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र स्थापित करने के बारे में मद्रास तथा कर्नाटक विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव 1969-70 में स्वीकार किये जा चुके हैं और आयोग 1973-74 में समाप्त होने वाली चालू योजना की अवधि तक इनमें से प्रत्येक केन्द्र के लिए 20-20 लाख रुपये की रकम देने के लिए सहमत हो चुका है। आयोग को खेद हैं कि वह मैसूर विश्वविद्यालय का यह प्रस्ताव नहीं मान सका कि देवनगिरि में स्नातकोत्तर केन्द्र की स्थापना की जाये और उसने विश्वविद्यालय से निवेदन किया है कि वह पहले मंगलौर के मौजूदा केन्द्र का विकास करे।

5. परीक्षा-सुधार

परीक्षा-पद्धति में सुधार लाने के लिए आयोग ने जो कदम उठाये हैं उनका ब्यौरेवार वर्णन 1968-69 की रिपोर्ट में किया जा चुका है। कई विश्वविद्यालयों ने

अपने पाठ्यक्रमों में संशोधन कर लिये हैं या उनका पुनरायोजन किया है और किसी न किसी रूप में सिमेस्टर या त्रि-सिमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने पूरे सत्र का काम निर्धारित करने की पद्धति अपना ली है और अनवरत निर्धारण के तरीके तय कर लिये हैं। आशा है पाठ्यक्रमों के पुनरायोजन और छात्र के काम के मूल्यांकन के जो प्रयोग इस समय कई विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं उनसे अध्ययन-अध्यापन की विधियों समेत समूची शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन होगा।

परीक्षा-सुधार की समस्या पर अप्रैल, 1969 में वुलपति-सम्मेलन में विचार किया गया। इस बारे में सम्मेलन ने जो सिफारिशें कीं उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें ये है :

(क) छात्र के कार्यकलाप के मूल्यांकन में और उसकी श्रेणी नियत करने में सत्रीय काम और आंतरिक निर्धारण सही दिशा में एक कदम होगा और सीखने-पढ़ने की आदतों पर उसका असर पड़ सकता है। अगर किसी विश्वविद्यालय को लगे कि तत्काल यह परिवर्तन करना संभव नहीं तो सत्रीय परीक्षाओं का बाकायदा लेखा-जोखा रखकर इसकी शुरुआत तो की ही जा सकती है। इन परीक्षाओं में किसी छात्र की जो स्थिति रहे उसका अन्तिम परिणाम पर कोई असर न भी पड़े तो भी अंक-पत्र में कम से कम इसका उल्लेख अवश्य किया जा सकता है।

(ख) ऐसे प्रश्नों की बजाय जिनमें सूचना और याददाश्त से काम चल सके अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में रखे जायें जिनका सम्बन्ध किसी समस्या से हो, तो अच्छा रहेगा।

(ग) विश्वविद्यालय इस बात पर विचार कर सकते हैं कि परीक्षाएँ कई हिस्सों में हों और उनके बीच ऐसी दूरी रखी जाये जो सुविधाजनक हों।

(घ) सिमेस्टर-प्रणाली का अर्थ यह नहीं कि पाठ्यक्रम को इकाइयों में बाँट दिया जाये। उसमें अनिवार्यतः पाठ्यक्रमों का पुनरायोजन निहित है। सिमेस्टर-प्रणाली की शुरूआत एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ उठाकर पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जा सकता है और उन्हें आधुनिकता के साँचे में ढाला जा सकता हैं।

आयोग ने आम तौर से ये सिफारिशें स्वीकार कर लीं और इन्हें विचारार्थ विश्व-विद्यालयों में भेज दिया गया।

मई, 1969 में छात्र-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसने परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तनों के बारे में और बातों के अलावा ये सिफारिशें कीं :

(क) मौजूदा प्रणाली में विधिवत् व्याख्यानों पर जोर दिया जाता है। व्याख्यान-पद्धति का प्रयोग तो कभी-कभार ही करना चाहिए और उसकी जगह यथानिर्देश अध्ययन तथा विचार-विमर्श की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कक्षा-व्याख्यानों की बजाय मेज के इर्द-गिर्द बैठकर विचार-विमर्श और वाद-विवाद हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(ख) हर छात्र को अलग और कई छात्रों के समूह को मिलाकर काम दिया जाये, उसका मूल्यांकन हो और उस पर प्रायः विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(ग) परीक्षा-प्रणाली में ऐसे सुधार किये जाने चाहिए कि छात्र चुनी हुई चीजें पढ़कर काम चला लेने के चक्कर में न पड़ पायें।

(घ) छात्र की प्रगति का मूल्यांकन व्यापक और अविछिन्न गति से होता रहना चाहिए।

(ङ) नोट लिखा देने का तरीका खत्म होना चाहिए क्योंकि उससे रटंटेबाजी की प्रेरणा मिलती है। व्याख्यानों का बड़ी सावधानी से आयोजन करना चाहिए और उनमें सामंजस्य रहना चाहिए। व्याख्यानों की रूपरेखा की साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियाँ छात्रों को पहले ही दे दी जानी चाहिए और उसमें यह सुझाव भी रहना चाहिए कि छात्र उसके आगे क्या-क्या चीजें पढ़े।

(च) प्रश्न-पत्रों का स्तर ऊँचा उठाया जाना चाहिए। वस्तुपरक परीक्षण और समस्योन्मुख प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(छ) परीक्षाओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच समुचित दूरी रहे और कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि निश्चित अवधि के बाद परीक्षाओं के द्वारा निरंतर मूल्यांकन होता रहे।

(ज) ऐसे पाठ्यक्रमों की एक समुचित योजना लागू की जानी चाहिए जिनमें विविधता भी हो और जिनसे नौकरी पाने में सहायता भी मिले।

(झ) कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर परीक्षाओं में किसी के साथ पक्षपात किया जाये या किसी को अनुचित लाभ पहुँचाया जाये तो उसकी जाँच हो सके। जाँच के लिए भेजने से पहले परीक्षा-पुस्तिकाओं पर नकली रोल नंबर लिख दिये जाने चाहिए।

(ञ) छात्र के काम पर अंक देने के बजाय श्रेणीकरण के द्वारा उसके मूल्यांकन का तरीका कुछ चुने हुए केन्द्रों में आजमाया जाना चाहिए।

(ट) मौखिक परीक्षा की शुरूआत की जाये—खास तौर से भाषा-पाठ्यक्रम में।

सम्मेलन की कई सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों में विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में जो विचार-विमर्श और चर्चा हुई उसकी एक रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और राज्य-सरकारों को भिजवा दी गई।

6. शिक्षा का माध्यम

11 से 13 सितम्बर, 1967 तक कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें शिक्षा के माध्यम के सवाल पर विस्तार से विचार किया गया। शिक्षा के माध्यम के बारे में सम्मेलन ने जो सिफारिशें कीं उनसे आयोग सामान्यतः सहमत है।

सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(क) सम्मेलन ने इस प्रश्न पर विचार किया कि उच्चतर शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं का क्या स्थान है और उसने अपने इस विश्वास को दोहराया कि उच्चतर शिक्षा के, और सामान्यतः राष्ट्रीय संस्कृति के, अध्ययन के लिए यह परम आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं और साहित्य का पूरी लगन और तेजी के साथ विकास हो।

(ख) शिक्षा-माध्यम के परिवर्तन के प्रश्न पर सम्मेलन सामान्यतः शिक्षा-आयोग (1964-66) की सिफारिशों से सहमत था। सम्मेलन ने यह बात स्वीकार की कि अगर शिक्षा के माध्यम में सही ढंग से परिवर्तन किया जाये तो वह उच्चतर शिक्षा के सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और उससे हमारी अपनी मिट्टी में उसकी जड़ें जमेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि कार्यक्रम पर लगन के साथ और व्यवस्थित ढंग से अमल हो।

(ग) सम्मेलन का विचार था कि स्नातक-पूर्व स्तर पर लगभग पाँच से ले कर दस वर्ष तक की अवधि में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है—यह इस बात पर निर्भर होगा कि कितना प्रारंभिक कार्य संपन्न हो चुका है, विषय किस प्रकार का है, आदि। परिवर्तन के कार्यक्रम में अंग्रेजी की महत्ता को अच्छी तरह समझ और स्वीकार लेना चाहिए और स्नातक-पूर्व स्तर पर उसके अध्ययन के लिए समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

(घ) स्नातकोत्तर और शोध-स्तर पर शिक्षा के माध्यम के प्रश्न का सामान्य अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि छात्रों को अंग्रेजी तथा संसार की अन्य महत्त्वपूर्ण भाषाओं के ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाओं का सहारा तो लेना ही होगा—जैसे विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में (इसका कारण है ज्ञान की सार्वभौमता और उसका द्रुत विकास)।

(ङ) जहाँ तक अखिल भारतीय संस्थाओं का सवाल है—शिक्षा के माध्यम के बारे में इस समय जो प्रबंध हैं वे ही चलते रहें—जैसे कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है।

(च) बड़े-बड़े शहरों में जहाँ अनेक भाषा-भाषी लोग हों, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं के अलावा अंग्रेजी भी बनी रहे और विश्वविद्यालय इसकी समुचित व्यवस्था करें।

आयोग ने शिक्षा के माध्यम के बारे में ये सिफ़ारिशें स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस बारे में प्रारम्भिक कार्य की बड़ी आवश्यकता है और यह बात विश्वविद्यालयों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए कि माध्यम-परिवर्तन किस ढंग से और किस गति से हो। वह स्तर ऊँचे उठाने के व्यापक कार्यक्रम का ही अंग होना चाहिए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 57 विश्वविद्यालयों ने स्नातक-पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर कई पाठ्यक्रमों के लिए किसी न किसी भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है। शिक्षा तथा युवक सेवा-मंत्रालय की आर्थिक सहायता से विभिन्न राज्यों में भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का एक बृहत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

7. विश्वविद्यालयों को अनुदान

विकास-कार्यक्रम

विश्वविद्यालयों ने अध्यापन और अनुसंधान के विकास के जो कार्यक्रम तैयार किये हैं उन पर आयोग द्वारा नियुक्त समितियाँ विश्वविद्यालयों में जा-जाकर उनसे विचार-विमर्श कर चुकी हैं। इन समितियों की सिफ़ारिशों के आलोक में 1973-74 तक की अवधि के लिए साठ विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली सात संस्थाओं के लिए 47.26* करोड़ रुपये के अनुदान नियत किये जा चुके हैं। चूँकि सीमित धनराशि

*पूर्ववर्ती योजना-काल से जो मूल महत्त्व की परियोजनाएँ चली आ रही हैं उन पर जो व्यय होगा, वह भी इसमें शामिल हैं।

ही उपलब्ध है, इसलिए शुरू-शुरू में विश्वविद्यालयों से कहा गया कि वे अपना व्यय नियत धनराशि के 70 प्रतिशत तक सीमित रखें जिसमें पिछले वर्ष से चली आती हुई योजनाओं की लागत भी शामिल है। बाद में बाकी का 30 प्रतिशत देना भी संभव हुआ और आयोग ने जितनी-जितनी धनराशि नियत की थी वह पूरी की पूरी विश्वविद्यालयों को उनके विकास-कार्यक्रमों के लिए दी गई। यह भी मान लिया गया कि 1973-74 तक उन योजनाओं के लिए भी सहायता दी जाये जिनमें आवर्ती व्यय होना है। 1966-67 से 1973-74 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को आयोग ने उनके विकास-कार्यक्रमों के लिए जो कुल धनराशि नियत की है वह लगभग 54 करोड़ रुपये है।

जिन कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को मदद दी जा रही है उनमें ये शामिल हैं: अध्ययन-क्रमों का विस्तार करना और उनमें वैविध्य लाना, अनुसंधान-सुविधाओं का विकास-विस्तार करना, अतिरिक्त अध्यापकों, भवनों, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं और किताबों तथा उपकरणों की व्यवस्था करना।

चौथी योजना के अन्तर्गत प्रमुख रूप से इन बातों पर जोर है: उच्चतर शिक्षा की गुणता की रक्षा करना तथा उसमें सुधार लाना, अनुसंधान तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के केन्द्रों का विकास करना, विज्ञान-शिक्षा की नींव सुदृढ़ करना— विशेष रूप से नये उभरते हुए अंतर्विषय-क्षेत्रों में, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला-सुविधाओं की व्यवस्था करना और छात्र-समाज को यथोचित सुविधाएँ प्रदान करना।

विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को 1966-67 से 1969-70 तक जो विकास-अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

प्रयोजन	जो अनुदान दिये गये			
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
वैज्ञानिक विषय	239.20	257.35	260.93	360.56
मानविकी और सामाजिक विज्ञान	131.13	115.00	119.71	171.74
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	155.08	203.65	242.72	268.14
विविध योजनाएँ*	456.55	359.47	292.90	334.68

* अध्यापकों तथा छात्रों के लिए आवास, पुस्तकालय-भवनों तथा छात्रों की सुख-सुविधाओं आदि की व्यवस्था।

मानविकी और सामाजिक विज्ञानों, विज्ञानिक विषयों, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में अध्यापन तथा अनुसंधान के विकास पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक व्यय हो रहा है जिससे इन क्षेत्रों में विकास की द्रुत गति परिलक्षित होती है।

वैज्ञानिक विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान पर विकास-व्यय 1966-67 में 2.39 करोड़ रुपये था और 1969-70 में यह बढ़कर 3.60 करोड़ रुपया हो गया। इस तरह लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पिछले चार वर्षों में वैज्ञानिक विषयों पर प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत जो व्यय हुआ उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

खर्च की मदें	जो अनुदान दिये गये			
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
1	2	3	4	5
अध्यापक-वर्ग	45 52	25.91	28.78	55.73
उपकरण	76.79	67.68	62.57	99.65
पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ	12.17	26.92	31.37	74 25
प्रयोगशालाएँ तथा अन्य भवन	55.49	83.67	90.70	85 50
उच्चतर शिक्षा-केन्द्र	49.23	53.17	47.51	44 85
विविध	—	—	—	0.58
जोड़	239.20	257.35	260.93	360.56

विज्ञान-शिक्षा पर जो धनराशियाँ नियत और व्यय हो रही है उनमें उपकरणों की और अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था पर खास ज़ोर दिया जा रहा है और यह बात अपने आप में सार्थक है। वरिष्ठ पदों की यानी प्रोफ़ेसरों और रीडरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और वर्कशाप-सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है जिसकी आवश्यकता उपकरण तैयार करने और उसके रख-रखाव तथा सफ़ाई आदि के लिए होती है।

1966-67 से 1969-70 के बीच मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अध्यापन

तथा अनुसंधान पर जो व्यय किया गया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

खर्च की मदें	जो अनुदान दिये गये			
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
1	2	3	4	5
अध्यापक-वर्ग	56.47	49.14	39.06	44.70
उपकरण	6.13	1.88	4.38	5.59
पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ	14.75	22.05	35.70	62.21
भवन	35 05	20.56	17.36	30.47
उच्चतर शिक्षा-केन्द्र	18.73	20.01	20.44	24.56
क्षेत्रीय अध्ययन-कार्यक्रम	—	1.36	2.77	4.21*
जोड़	131.13	115.00	119.71	171.74

शिक्षा-आयोग (1964-66) ने लिखा है कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पर इस समय जो व्यय होता है वह कम है और इसमें काफी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्यतः जो व्यवस्था की जाती है उसके अतिरिक्त 1969-70 में प्रत्येक विश्वविद्यालय को 50,000 रु० से लेकर 1,00,000 रु० तक की रकमें दी गई कि वे अनुसंधान को सीधे सहारा दें। इन अनुदानों में से ऐसे अनुसंधानों पर खर्च किया जा सकता था जो साधारणतः आयोग द्वारा स्वीकृत विकास-योजनाओं की परिधि में नहीं आते। अनुसंधान के लिए नियत यह विशेष धनराशि बढ़ाने के सवाल पर आयोग यथासमय विचार करेगा।

अध्यापन और अनुसंधान की बढ़ती हुई और वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं को और छात्रों की बढ़ती हुई संख्याओं को देखते हुए आयोग विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय-सुविधाएँ बढ़ाने के काम को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधि में पुस्तकालय-भवन बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 2.67 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये। चौथी योजना की समीक्षा-समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय-भवन बनाने के लिए अथवा उनका विस्तार करने के लिए 78.88 लाख रुपये के और अनुदान देने का फैसला किया गया है। 1966-67 से 1969-70 तक की अवधि में वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए 1.45 करोड़ रुपये के और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों की पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए

*इसमें अध्यापक-प्रशिक्षण-कार्यक्रम की 33,000 रुपये की धनराशि भी शामिल है

1.35 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये। 1969-70 में 65 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली 8 संस्थाओं को पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए 1.41 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय नियतन किये गये।

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए और उसकी नींव जमाने के लिए आयोग विश्वविद्यालयों को मदद देता रहा है। यह मदद विश्वविद्यालय-विभागों और विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के लिए दी जाती रही है। 1966-67 से 1969-70 तक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विकास पर आयोग ने जो व्यय किया, उसका ब्यौरा यों है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये
1966-67	155.08
1967-68	203.65
1968-69	242.72
1969-70	268.14
जोड़	869.59

और चीजों के अतिरिक्त पंचवर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों के लिए, विशेषीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान-कार्यक्रमों के लिए, रासायनिक इंजीनियरी, फार्मेसी तथा व्यवसाय-प्रशासन के लिए और वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन, छात्रवृत्तियों आदि के लिए सहायता प्रदान की गई। 1969-70 में आयोग ने एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई के अन्तर्गत महिला-पॉलीटेकनिक की स्थापना की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में व्यापार-प्रबंध के अंशकालिक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम शुरू करने की तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में विपणन, विक्रय-प्रबंध तथा कार्मिक-प्रबन्ध के एकवर्षीय अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी।

उच्चतर अध्ययन-केन्द्र

आयोग ने विश्वविद्यालयों में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों का विकास करके एक महत् कार्यक्रम आरंभ किया है जिसका उद्देश्य यह हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कर्ष की साधना को प्रोत्साहन मिले तथा स्नातकोत्तर और अनुसंधान के अवस्थान में शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर और गुणता बढ़े। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने कहा था :

"वर्तमान स्थिति में आमूल सुधार लाने के लिए जिस चीज की सब से ज्यादा जरूरत है वह है प्रखर वरणात्मक दृष्टिकोण, उत्कर्ष के ऐसे केन्द्रों या शिखरों के निर्माण के लिए केन्द्रित प्रयत्न जो और उत्कर्ष - केन्द्रों के लिए अनुकरणीय बन सकें और उनके 'उद्भावक' बनें .... जब साधनों का अभाव हो और समस्याएँ अबूझ-अपार हों तब संकेद्रण और वरणात्मकता का सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है।"

तीसरी योजना की अवधि में आयोग ने एक कार्यक्रम का अनुमोदन किया था जिसके अंतर्गत कई विश्वविद्यालय-विभागों को विशेषीकृत क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। इन विभागों का चयन उनकी मौजूदा सुविधाओं और उपलब्धियों और भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर बड़ी सावधानी के साथ किया गया है। जिन विभागों को आयोग ने उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के रूप में मान्यता दी है वे अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करते हैं और उनमें देश के विविध भागों के विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

बड़ी सावधानी के साथ और पूरी-पूरी जाँच-परख करके किसी विश्वविद्यालय-विभाग को उच्चतर अध्ययन-केन्द्र के रूप में काम करने के लिए चुना जाता है। इसकी कार्यविधि आयोग की 1968-69 की रिपोर्ट में समझाई गई है। यह मान्यता मिलना एक तरह की प्रतिष्ठा है और केन्द्र को अपने काम के स्तर और अपनी सिद्धियों तथा उपलब्धियों के आधार पर बराबर यह दिखाना होता है कि उसने वह प्रतिष्ठा अर्जित की है और वह उसका सुयोग्य पात्र है। केन्द्र अपने काम और कार्यक्रम के बारे में समय-समय पर आयोग को रिपोर्टें भेजते हैं। विशेषज्ञों की मूल्यांकन-समितियाँ नियुक्त की जाती हैं कि वे जाकर केन्द्र का मुआयना करें और उनकी प्रगति की जाँच करें।

परिशिष्ट-IX में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की एक सूची दी गई है और यह भी बताया गया है कि उनके विशेषीकरण के क्षेत्र क्या हैं। अब तक 30 विश्वविद्यालय-विभागों को उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के रूप में मान्यता दी गई है—17 को वैज्ञानिक विषयों में और 13 को मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में। विभिन्न विषयों में नये उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों को मान्यता देना और उनका विकास करना इस बात पर निर्भर है कि इन विभागों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ और संभावनाएँ क्या हैं और साथ ही वह साधनों की उपलब्धता, अध्यापक-वर्ग की क्षमता और अनिवार्य उपकरण की व्यवस्था पर भी निर्भर हैं।

उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग ने 27 विश्व-विद्यालय-विभागों को स्नातकोत्तर विशेषीकरण तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इन विभागों की उपलब्धियों और विकास की

सम्भावनाओं की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ-समितियाँ नियुक्त की गई हैं। ये समितियाँ कई सम्बद्ध विभागों का मुआयना कर चुकी हैं।

उच्चतर अध्ययन के मौजूदा केन्द्रों में अनुसन्धान-वृत्ति, अधिवृत्ति (फेलोशिप) तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है जिनकी वजह से देश के विभिन्न भागों से मेधावी छात्र और अध्यापक इनकी ओर आकृष्ट हुए हैं। केन्द्रों के लिए कुछ अस्थायी अधिवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे देश-विदेश से वैज्ञानिकों और विद्वानों को आमन्त्रित कर सकें। परिसंवादों तथा संगोष्ठियों के आयोजन के लिए और शोध-प्रबन्धों तथा शोध-लेखों के प्रकाशन के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों के लिए 51 प्रोफेसरों, 83 रीडरों, 76 शोध-सहचरों तथा 100 प्रवर और 153 अवर शोध-अध्येताओं की नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि वे अपने अध्यापन और शोध-कार्यक्रमों को सुदृढ़ बना सकें।

1969-70 में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में 700 से अधिक अध्येता शोधकार्य में लगे हुए थे और केन्द्रों के अध्यापकों आदि के 600 से अधिक शोध-प्रकाशन सामने आये। इस वर्ष में विशेषित क्षेत्रों में कई संगोष्ठियों और परिसंवादों का भी आयोजन किया गया। कुछ केन्द्रों में गणित के अध्यापकों के लिए पूरे वर्ष भर का प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलता रहा।

पिछले वर्षों में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों ने अनवरत प्रगति की है। कई यशस्वी विदेशी विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इन केन्द्रों को देखा है और इनमें जो शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी प्रशंसा की है।

इन केन्द्रों के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को पिछले वर्षों की तरह इन्हें मदद देता रहा। यह सहायता विशेष रूप से सोवियत रूस से मिली--उपकरण के तथा विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में; और साथ ही भारतीय विद्वानों को सोवियत रूस में प्रशिक्षण भी दिया गया। यूनेस्को-कार्यक्रम के अधीन 1969-70 में सोवियत रूस से 13 विशेषज्ञ भारत आये और भारत से 6 अध्येता उच्च अध्ययन के लिए सोवियत रूस गये। सोवियत तकनीशियनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक द्रव हीलियम-संयन्त्र स्थापित करने में तथा बम्बई विश्वविद्यालय में एक विद्युत्सूक्ष्मदर्शी लगाने में सहायता की। इसी साल थोड़े-थोड़े समय के लिए केन्द्रों के कुछ वरिष्ठ अध्यापक भी सोवियत रूस गये। इससे पहले यूनेस्को का मूल्यांकन-मिशन केन्द्रों को देखने आया था और उसने कुछ सिफारिशें की थीं। एक सिफारिश के अनुसार एक प्रस्ताव यह रखा गया कि भारत में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों तथा सोवियत रूस की एकेडमी ऑफ साइंसिज की संस्थाओं के बीच निकटतर सहयोग पैदा करने के लिए एक छोटा-सा सम्पर्क-वर्ग बनाया जाये। यूनेस्को के अधिकारी इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं। कापित्जा इन्स्टीट्यूट, मास्को के साथ एक सहयोगात्मक अनुसंधान-कार्यक्रम बनाने और चलाने का भी सुझाव रखा गया है।

यूनेस्को ने इन केन्द्रों के लिए जितनी विनिमेय मुद्रा नियत की है उस सबके बदले उपकरण देने की माँग कर दी गई है। यूनेस्को से अनुरोध किया गया है कि नियत धनराशि में और वृद्धि की जाये।

कुछ उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों को ब्रिटेन की सरकार भी मदद देती रही है। ब्रिटिश सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत 1969-70 में ब्रिटेन से सात परामर्शदाता भारत आए और आठ भारतीय अध्यापक ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से इन केन्द्रों के लिए 82,391 पौंड का साज-सामान भी मिला। पहले यह सहायता-कार्यक्रम वैज्ञानिक विषयों के दस केन्द्रों तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के आठ केन्द्रों तक सीमित था। अब तय हुआ कि चार और केन्द्रों को भी इस कार्यक्रम की परिधि में ले लिया जाए—दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग को, बम्बई विश्वविद्यालय में रासायनिक-प्रौद्योगिकी विभाग को, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर में जीव-रसायन विभाग को तथा पंजाब विश्वविद्यालय में गणित विभाग को।

अन्य कार्यक्रम

(i) ग्रन्थ-निर्माण

शिक्षा तथा युवक सेवा-मन्त्रालय के सहयोग से आयोग ऐसे मानक ग्रन्थों के सस्ते संस्करणों के प्रकाशन को बढ़ावा देता रहा है जो मूलतः अमरीका, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस में छपे थे। प्रस्तावित ग्रन्थों का पहले विषय-विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और तब आयोग इसके बारे में मन्त्रालय को यथोचित सिफारिशें भेज देता है। 1968-69 तक आयोग ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशन के लिए 1,200 से अधिक ग्रन्थों की सिफारिश की थी। 1969-70 में सस्ते संस्करणों में प्रकाशन के लिए 165 और ग्रन्थों की सिफारिश की गई। अँग्रेजी में कुछ किताबों के इमदादी संस्करण निकालने के लिए आयोग नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ सहयोग करता रहा है।

शिक्षा तथा युवक सेवा-मन्त्रालय के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय-स्तर की मानक पुस्तकों के निर्माण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की कुछ अधिवृत्तियाँ देने का फैसला किया है। प्रत्येक वृत्ति के साथ आनुषंगिक व्यय के लिए 2,000 रुपये प्रतिवर्ष अलग से दिया जायेगा। आशा है प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय-अध्यापकों के साथ मिलकर मेधावी युवा अध्येता इस तरह के ग्रन्थों के निर्माण का काम अपने हाथों में लेंगे। इस कार्यक्रम का मूल प्रयोजन ऐसी किताबें, विनिबन्ध और अनुवाद प्रकाशित कराना है जो ऊँचे स्तर के हों और देश के अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों में जिनका उपयोग पाठ्य पुस्तकों या सन्दर्भ ग्रन्थों के रूप में हो सके। इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः युवा एवं समर्थ विद्वानों का एक ऐसा मंडल तैयार हो जायेगा जिसकी ऊँचे स्तर की किताबें लिखने

में सक्रिय रुचि होगी। ये किताबें अँग्रेजी में भी लिखी जा सकेंगी और किसी भारतीय भाषा में भी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय अध्यापकों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायेंगे जिनकी जाँच एक विशेषज्ञ-समिति करेगी। आशा है 1970-71 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगभग 100 अध्यापकों को आमन्त्रित किया जायेगा।

(ii) क्षेत्रीय अध्ययन

देश के उपयुक्त केन्द्रों में क्षेत्रीय अध्ययनों के ऐसे कार्यक्रम बनाने की महत्ता और मूल्य के प्रति अब अधिकाधिक सजगता पैदा होती जा रही है जो धीरे-धीरे बढ़ते-फैलते जायें। भारत के कई देशों के साथ बहुत निकट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध हैं और इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि ऐसे भारतीय विद्वान उभरें जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों के जीवन, संस्थाओं, संस्कृति और भाषाओं का विशेष ज्ञान हो। क्षेत्रीय अध्ययन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसे केन्द्रों का विकास करने का इरादा है जो निर्दिष्ट क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट अध्ययन और अनुसन्धान का काम अपने हाथों में ले सकें।

क्षेत्रीय अध्ययन-कार्यक्रम बनाने के लिए और इस बारे में विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों का अध्ययन-परीक्षण करने के लिए आयोग ने एक स्थायी सलाहकार-समिति बना दी है। समिति ने अगले दशक में इस प्रकार के अध्ययनों के लिए एक परिप्रेक्ष्य-योजना बना ली है जिसमें उपलब्ध सुविधाओं और गहन अध्ययन के लिए चुने गये क्षेत्रों की सापेक्षिक महत्ता का ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र-विशेष की भाषाओं के गहन अध्ययन-क्रम की और अन्तर्विषय-सहयोग की भी व्यवस्था है—विशेषतः सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग की सहायता के लिए निम्नलिखित केन्द्र चुने जा चुके हैं :

विश्वविद्यालय	विशेषीकरण का क्षेत्र
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	पश्चिम एशियाई अध्ययन
बम्बई विश्वविद्यालय	पूर्व-अफ्रीका और सोवियत संघ सम्बन्धी अध्ययन
दिल्ली विश्वविद्यालय	(क) पाकिस्तान-सम्बन्धी अध्ययन (ख) चीनी एवं जापानी अध्ययन (ग) अफ्रीकी अध्ययन

विश्वविद्यालय	विशेषीकरण का क्षेत्र
जादवपुर विश्वविद्यालय	दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पाकिस्तान-संबंधी अध्ययन
मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन
राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	इण्डोचीन-सम्बन्धी अध्ययन

सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को उक्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए अभीष्ट आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(iii) **पत्राचार-पाठ्यक्रम**

शिक्षा-मन्त्रालय, भारत सरकार, ने अगस्त 1961 में पत्राचार-पाठ्क्रमों और सांध्य कक्षाओं के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने यह राय जाहिर की थी कि किसी न किसी रूप में पत्राचार-पाठ्यक्रमों का सहारा लिए बिना देश की बृहत् शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती । पत्राचार-प्रणाली से एक ओर तो शिक्षा के अवसर व्यापक रूप ग्रहण करते हैं, दूसरी ओर शिक्षा-व्यय घटता है । उसमें न तो अध्यापन-कक्षों की कमी की समस्या उठती है, न टाइम-टेबुल की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और कुछ हद तक समर्थ अध्यापकों की कमी की समस्या भी उसमें हल हो जाती है । शिक्षा-आयोग (1964-66) ने मत व्यक्त किया था कि पत्राचार-पाठ्यक्रम "एक अच्छी तरह आजमाया हुआ और जाँचा-परखा हुआ तरीका है" और उसका भरसक विस्तार होना चाहिए ।

1962-63 में सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने बी० ए० (पास) उपाधि के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रम का सूत्रपात किया था । हाल में इस विश्वविद्यालय ने बी० एस-सी० (सामान्य—'ए' वर्ग) के लिए भी पत्राचार-पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है । पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और मैसूर विश्वविद्यालय में प्री-यूनिवर्सिटी और बी० ए० उपाधि के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रम हैं । मेरठ विश्वविद्यालय ने भी बी० ए० की उपाधि के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रम शुरू किया है । राजस्थान विश्वविद्यालय में बी० काम० के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रम है ।

) **प्रकाशन-अनुदान**

शोध-कृतियों तथा डाक्टर की उपाधि के शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन के लिए विश्व-विद्यालयों को अनुदान दिये गये हैं । ये पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए शत-प्रतिशत के आधार पर मिल सकते हैं और विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के हिसाब से इनका उपयोग कर सकते हैं । 1970-71 तक की अवधि के लिए 67 विश्वविद्यालयों

के निमित्त (जिनमें विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ भी शामिल हैं) इस उद्देश्य से 11.40 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई थी। बाद में इस राशि को बढ़ा दिया गया और 1973-74 तक की अवधि के लिए 77 विश्वविद्यालयों के लिए (जिसमें विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ भी शामिल हैं) 29.50 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई।

(v) अनियत अनुदान

विविध कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों के निमित्त 12.44 लाख रुपये के अनुदान तय कर दिये गये जिनका उपयोग वे आयोग से पूछे बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते थे। अनियत अनुदान और बातों के अलावा इन कार्यक्रमों के लिए होते हैं :

(क) शिक्षकों के विनिमय के लिए ;

(ख) विश्वविद्यालय-अध्यापकों के विस्तार-कार्यों के लिए ;

(ग) देश के अनुसंधान-केन्द्रों में जाने-आने के लिए अध्यापकों तथा अनुसंधाताओं को यात्रा-अनुदान देने के लिए ;

(घ) भारत में संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा-अनुदान देने के वास्ते ; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को यात्रा-अनुदान देने के वास्ते।

(क) से (घ) तक की मदों के कार्यक्रमों पर विश्वविद्यालय अनियत अनुदान में से ½-प्रतिशत आधार पर खर्च दे सकता है अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान की आधी रकम अनियत अनुदान में से दी जा सकती है, बाकी की आधी स्वयं विश्वविद्यालय को देनी पड़ती है।

(vi) अनुरक्षण-अनुदान : केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम की धारा 12 के अधीन जो विश्वविद्यालय किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या निगमित हुए हैं, उनके लिए विकास के अतिरिक्त अनुरक्षण-अनुदान भी दिये जाते हैं। 1969-70 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो अनुरक्षण-अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा आगे दिया जा रहा है :

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

विश्वविद्यालय	जो अनुदान दिये गये
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	197.50
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	259.75
दिल्ली विश्वविद्यालय	120.00
विश्वभारती	54.00
जोड़	631 25

अनुरक्षण-अनुदानों के अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1969-70 में परिसर (कैंपस) विकास के लिए 9.32 लाख रुपये की धनराशि दी गई।

8. कालेजों को सहायता

कालेजों में शिक्षा की गुणता बढ़ाने और स्तर ऊँचा उठाने की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है और यह काम ऐसा है कि इस पर तुरंत अमल होना चाहिए। ज्यों-ज्यों उच्चतर शिक्षा की माँग बढ़ी है त्यों-त्यों कालेजों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ती गई है। 1961-62 में कालेजों की संख्या कुल 1,783 थी। तीसरी योजना के अन्त तक यानी 1965-66 में यह संख्या बढ़कर 2,572 हो गई। 1969-70 में देश में कुल सक्रिय कालेजों की संख्या और बढ़कर 3,297 हो गई। इससे पता चलता है कि नौ साल के अरसे में कालेजों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है।

विश्वविद्यालय-कालेजों और विभागों में 1969-70 में छात्रों की संख्या 2,98,080 थी जब कि संबद्ध कालेजों में उनकी संख्या 21,34,550 थी। इसका मतलब यह हुआ कि उस वर्ष में कुल छात्र-संख्या में से 87.7 प्रतिशत की शिक्षा संबद्ध कालेजों में हो रही थी। विज्ञान, वाणिज्य और आयुर्विज्ञान के 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी सम्बद्ध कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों में संकायवार और स्तरवार नामांकन का विवरण परिशिष्ट X और XI में दिया हुआ है।

1969-70 में लगभग 48 प्रतिशत स्नातकोत्तर छात्रों की और विविध संकायों के 13 प्रतिशत शोध-छात्रों की भरती कालेजों में हुई। 1969-70 में सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों की संख्या 99,295 और विश्वविद्यालय-कालेजों और विभागों में कुल 19,757 थी। इससे पता चलता है कि कुल अध्यापकों में से लगभग 83 प्रतिशत संबद्ध कालेजों में थे।

कालेज देश में उच्चतर शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में आते हैं और आयोग का विचार यह रहा है कि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणता बहुत हद तक कालेजों के शिक्षा-स्तरों पर निर्भर रहेगी।

उपलब्ध साधनों के भीतर आयोग अपने अनुमोदित विकास-कार्यक्रमों के अंतर्गत कालेजों को सहायता देता रहा है। 1966-67 में कालेजों को कुल मिलाकर 1.49 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था। 1969-70 में यह धनराशि बढ़कर 3.55 करोड़ रुपये हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि कालेजों को आयोग की ओर से जो सहायता मिलती है, वह दुगुनी से भी अधिक हो गई है। 1969-70 में कालेजों को जो विकास-अनुदान दिया गया उसका विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है।

कालेज-सलाहकार-समिति

आयोग ने कालेजों के विकास से संबंधित मामलों के बारे में एक स्थायी सलाहकार समिति बना दी है। समिति ने आयोग के विचारार्थ और बातों के अलावा ये सिफारिशें कीं :

(i) साइकिलों के शेडों, नलकूपों, ऊपर की टंकियों तथा विज्ञान-विभागों की वर्कशापों की व्यवस्था करने के लिए कालेजों को सहायता दी जाये परन्तु इसमें आधार यह होना चाहिए कि कालेज भी खर्च में हिस्सा बँटायें ;

(ii) जिन कालेजों में छात्रों की संख्या बहुत हो उनमें अनावासी (non-resident) छात्र-केन्द्र बनाने में आयोग की सहायता की मात्रा बढ़ा दी जाये ;

(iii) किताबें खरीदने के लिए कालेजों को शत-प्रतिशत आधार पर हर वर्ष सहायता दी जाये ;

(iv) संबंधक विश्वविद्यालयों को एक छोटा-सा सेल या एकक खोलने में सहायता दी जाये ताकि आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने में सहायता मिले।

आयोग ने समिति की उपर्युक्त सिफारिशें मान ली हैं। 1973-74 में समाप्त होने वाली वर्तमान योजना की अवधि में अनुदानों की संशोधित वित्तीय सीमाओं के भीतर साइकिल-शेडों, नलकूपों तथा ऊपर की टंकियों और विज्ञान-विभागों की वर्कशापों के लिए कालेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया है। यह भी मान लिया गया है कि जिस

कालेज में छात्रों की संख्या 1,000 से अधिक होगी उसको अनावासी छात्र-केन्द्र के लिए 35,000 रुपये के बजाय 70,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। 1970-71 के लिए कालेजों को शत-प्रतिशत आधार पर पुस्तक-अनुदान देना भी तय किया गया है। इस निमित्त अनुदानों की राशि भी बढ़ा दी गई है*।

यह भी तय किया गया है कि विश्वविद्यालय कालेजों के लिए जो विकास-अधिकारी अथवा निरीक्षक नियुक्त करें उनसे कहा जाये कि अपने सामान्य काम के अतिरिक्त वे कालेजों को अपने विकास-कार्यक्रम लागू करने में भी सहायता दें। यह भी फैसला किया गया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों को सनदी लेखापालों (चार्टर्ड एकाउंटेंट)/इंजीनियरों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए—जिनकी जरूरत कालेजों को दिये गये अनुदानों के सिलसिले में होती है—आर्थिक सहायता दी जाये।

कालेजों का मुआयना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-समितियों ने राजस्थान, केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों के अव्यावसायिक कालेजों का मुआयना किया। इन समितियों में संबद्ध विश्वविद्यालयों तथा राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि भी थे। राजस्थान-सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अध्ययन-क्रमों, शिक्षण-विधियों, अध्यापकों के अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों, पुस्तकालय-सुविधाओं, विज्ञान-पाठ्यक्रम के लिए कालेजों के संवंधन, कालेज के कामकाज में छात्र के योगदान, अध्यापकों एवं छात्रों की एक सलाहकार समिति बनाने आदि से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

जिस समिति ने केरल में कालेजों का मुआयना किया था उसकी रिपोर्ट पर कालीकट विश्वविद्यालय विचार कर रहा है। केरल विश्वविद्यालय ने और बातों के अलावा ये निर्णय किये हैं :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-समिति के सुझाव के अनुसार कालेजों के आवधिक निरीक्षण के लिए तत्काल कुछ व्यवस्था की जाये।

(ii) त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, चंगनचेरी और एर्णाकुलम में स्नातकोत्तर स्तर पर सहयोगात्मक अध्यापन का तरीका आजमाया जाये। शुरू-शुरू में इन केन्द्रों में कुछ चुने हुए विषयों में यह प्रयोग करके देखा जाये।

---

*1970-71 में कालेजों के लिए पुस्तक-अनुदान की राशि छात्रों की संख्या के अनुसार 4,500 से 6,500 रुपये तक है जब कि 1969-70 में यह राशि 3,000 से 5,000 रुपये के बीच में थी।

(iii) पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम तथा अभिविन्यास-कार्यक्रम संबंधित कालेजों के सहयोग से चलाये जायेंगे ।

(iv) अवकाश के दिनों में विश्वविद्यालय के सदर मुकाम पर कालेज-अध्यापकों के लिए पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधाएँ तथा आवास की व्यवस्था की जायेगी ।

(v) विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए निरीक्षण-आयोग नियुक्त किये जायेंगे ।

(vi) पूर्व-उपाधि तथा पूर्व-स्नातक स्तरों पर पत्राचार-पाठ्यक्रम शुरू किये जायें ।

(vii) इस बात पर जोर दिया जाएगा कि संबंधित कालेजों में योग्यता-प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्षों की ही नियुक्ति की जाये ।

विश्वविद्यालय-सिंडीकेट ने रिपोर्ट के आर्थिक तथा अन्य निहितार्थों की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की है और उससे कहा है कि इस विषय में ठोस सुझाव दे जिन पर अमल किया जाये ।

उड़ीसा-सरकार और उत्कल, बेरहामपुर तथा संबलपुर विश्वविद्यालयों की सलाह से आयोग ने उड़ीसा के कला, विज्ञान तथा वाणिज्य-कालेजों का मुआयना करने के लिए एक समिति नियुक्त की । इसके जिम्मे यह काम था कि उनकी समस्याओं और कठिनाइयों का अध्ययन करे और बताये कि राज्य में कालेज-शिक्षा के उन्नयन के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिए । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में कई सुझाव दिये हैं और बताया है कि संबद्ध कालेजों में शिक्षा के स्वरूप और स्तर के उन्नयन के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए । समिति की रिपोर्ट उत्कल, बेरहामपुर तथा संबलपुर-विश्वविद्यालयों और उड़ीसा-सरकार के विचारार्थ भेज दी गई थी ।

स्नातकोत्तर अध्ययन

स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए कालेजों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । यह आर्थिक सहायता नियत सीमाओं के भीतर अतिरिक्त अध्यापकों, अध्यापन-कक्षों, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं आदि के लिए उपलब्ध है परन्तु इसमें कालेज का भी योगदान होना चाहिए । इस कार्यक्रम के अधीन आयोग की सहायता में काफी वृद्धि कर दी गई है । मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए चौथी योजनावधि के अंतर्गत आयोग की सहायता की राशि 1,00,000 रु० से बढ़ाकर

1,50,000 रु० कर दी गई हैं (इसमें पूर्ववर्ती योजना-काल में चली आती हुई परियोजनाओं के लिए जो अदायगियाँ की जायेंगी वे भी शामिल हैं)। वैज्ञानिक विषयों के स्नातकोत्तर विभागों के लिए प्रति कालेज आयोग का अनुदान भौतिकी और रसायन दोनों में 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है; बनस्पति, जीव-रसायन, गृह-विज्ञान तथा प्राणिविज्ञान में से प्रत्येक के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है ; और मानवविज्ञान, भूगोल तथा गणित (सांख्यिकी समेत) में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रु० कर दिया गया है। आयोग भवनों तथा अतिरिक्त अध्यापकों के स्वीकृत खर्चे का 50 प्रतिशत हिस्सा देता है और उपकरण तथा किताबों के स्वीकृत खर्चे का 75 प्रतिशत। इसमें यह आश्वासन देना होता है कि इस योजना के अन्तर्गत जो अतिरिक्त जगहें होंगी उन्हें संबद्ध कालेज तब भी जारी रखेगा जब इस प्रयोजन के लिए आयोग से सहायता मिलना बन्द हो जायेगा।

1966-67 से 1969-70 तक की अवधि में 88 कालेजों में वैज्ञानिक विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 68.15 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत हुए। इन अनुदानों से कालेज 218 विज्ञान-विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएँ दे सकेंगे और यथा-स्थान सुविधाएँ बढ़ा सकेंगे।

मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 1969-70 तक 62 कालेजों के लिए 24.25 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये।

कालेजों से स्नातकोत्तर विभाग शुरू करने के जो प्रस्ताव आते है उनकी जाँच अकसर विशेषज्ञ-समितियों द्वारा की जाती है। ये समितियाँ संबद्ध कालेज में जाकर देखती हैं कि वहाँ क्या सुविधाएँ मौजूद हैं, संबद्ध विभाग कैसे काम करते हैं और उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं और भावी विकास के लिए और किन-किन बातों की आवश्यकता है।

सामान्य सुविधाएँ

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए तो आयोग कालेजों को सहायता देता ही है, इसके अतिरिक्त वह पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए, किताबें और उपकरण खरीदने के लिए, अध्यापकों तथा छात्रों के आवास की व्यवस्था के लिए तथा अनावासी छात्र-केन्द्रों के लिए भी अनुदान देता हैं परंतु इनके लिए खर्च का एक नियत हिस्सा कालेजों को भी देना पड़ता है। 1966-67 से 1973-74 तक की अवधि के लिए कालेज को इस कार्यक्रम के लिए सहायता की सीमा 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये कर दी गई है। इसमें वे अनुदान भी शामिल हैं जो पहले वाली योजना की अवधि से चली आती हुई परियोजनाओं के लिए दी जा चुकी हैं या दी जाने वाली हैं। यह भी मान लिया गया है कि इस कार्यक्रम के अधीन, और चीजों के अलावा, अध्यापन के लिए अपेक्षित

अतिरिक्त कक्षों आदि की, विज्ञान-विभागों के लिए वर्कशापों की, नलकूपों, ऊपर की टंकियों तथा साइकिल शेडों की व्यवस्था करने के लिए नियत हिस्सेदारी के आधार पर कालेजों को 3,00,000 रुपये तक की सहायता दी जाये।

1969-70 में पुस्तकालय-सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए 96 कालेजों को 63.15 लाख रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। पुस्तकालय-सुविधाओं के विकास के लिए 102 कालेजों को 72.87 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत हुए। इस वर्ष छात्रावास बनाने के बारे में 56 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए और इन पर आयोग के खर्च का हिस्सा 70.87 लाख रुपये पड़ेगा। स्टाफ-क्वार्टर और अध्यापकों के होस्टल बनाने के लिए 40 कालेजों को 34.08 लाख रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। अनावासी छात्र-केन्द्र बनाने के बारे में 31 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये। इसके लिए आयोग को 11.20 लाख रुपये की सहायता देनी होगी।

अभी कृषि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान के कालेजों को उपयुक्त परियोजनाओं के लिए सहायता नहीं मिलती। अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को एक अन्य योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी संबंधित/अंगभूत कालेजों के लिए आयोग में अलग सहायता-अनुदान-नियम बनाये हैं।

कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम

भौतिकीय, जैविकीय तथा गणितीय विज्ञानों में अध्यापन के गुणात्मक उन्नयन का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है—प्रमुखतः पूर्वस्नातक-कालेजों में। कार्यक्रम दो स्तरों पर इस रूप में शुरू किया गया है :

(क) चुने हुए कालेजों को और बातों के अलावा इन बातों के लिए मदद देना :

(i) शिक्षा के बेहतर तरीकों के लिए ; (ii) वाद-विवाद, संगोष्ठियों तथा परियोजना-कार्य में छात्रों के भाग लेने की सुविधाओं के लिए ; (iii) अध्यापकों के पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम के लिए ; (iv) प्रयोगशाला के साज-सामान तथा निदर्शन के उपकरण आदि के लिए ; (v) वर्कशाप की सुविधाओं के लिए ; और (vi) विज्ञान के औसत विद्यार्थी को अपनी तर्क-शक्ति तथा जिज्ञासा-वृत्ति का विकास करने की प्रेरणा देने के लिए और साथ ही विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों के निमित्त विशेष प्रशिक्षण-कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए।

(ख) चुने हुई विश्वविद्यालय-विभागों को विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में निर्दिष्ट विषयों में अध्यापन-सुधार की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहायता। इसमें और बातों के अलावा ये बातें शामिल हैं :

(i) वर्तमान पाठ्यक्रमों, शिक्षण और मूल्यांकन की पद्धतियों तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं को आंकना ; (ii) उन्नत अध्ययन-क्रमों तथा पाठ्यचर्या-सामग्री की व्यवस्था करना ; (iii) कालेज-अध्यापकों के लिए अभिविन्यास-पाठ्यक्रम की व्यवस्था जिससे अपने काम में उनकी क्षमता बढ़े और शिक्षण की नई विधियों का सूत्रपात करना ; (iv) वर्कशाप-सुविधाओं, अध्यापन-साधनों आदि का विकास ; (v) चुने हुए अध्यापकों को एक शैक्षिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय विभाग में आमंत्रित करना और अनुसंधान-कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन देना ; और (vi) विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेज विभागों के बीच लाभप्रद संपर्क-सूत्र स्थापित करना।

पहले दौर में यह कार्यक्रम तीन वर्ष चलेगा—यानी 1970 से 1973 तक। इसमें वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लगभग 15 परियोजनाएँ होंगी जिन्हें विश्वविद्यालय अपने हाथों में लेंगे और लगभग 100 कालेजों को विशेष सहायता दी जायेगी। कालेजों का चुनाव सुनिर्दिष्ट कसौटी के आधार पर किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कालेजों और विश्वविद्यालयों की ओर से कई सुझाव आये हैं और आयोग उन्हें स्वीकार कर चुका है*.

अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेज

आयोग ने चौथी योजनावधि में अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को अलग से सहायता देने का फैसला किया है। बी० एड० पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों के लिए अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये की सहायता दी जा सकती है और बी० एड० तथा एम० एड० दोनों चलाने वाले कालेजों को 2,50,000 रु० की। बी०एड० वाले कालेजों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला-सुविधाओं के विस्तार के लिए, किताबें और साज-सामान खरीदने के लिए, अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए और अनावासी छात्र-केन्द्र बनाने तथा अध्यापकों और छात्रों के लिए आवास की व्यवस्था करने के वास्ते सहायता मिल

---

* नवंबर, 1970 तक चुने हुए कालेजों की परियोजनाओं के लिए 80.68 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत हो चुके थे और 72.04 लाख रुपये के अनुदान नौ विश्वविद्यालयों में चुने हुए विज्ञान-विभागों के लिए स्वीकृत हुए थे।

सकती है परंतु इसका आधार वही रहेगा कि दोनों अपना-अपना नियत हिस्सा दें। एम० एड० पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों को आयोग की सहायता भवनों के लिए (जिनमें अध्यापन-कक्ष भी शामिल है), किताबों और उपकरणों के लिए तथा अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था के लिए मिल सकती है। भवन-निर्माण कार्यक्रम के लिए आमतौर पर अधिक से अधिक सहायता 50,000 रुपये की मिल सकती है। अध्यापन-साधन तथा पाठ्य-सामग्री तैयार करने, प्रयोगात्मक कार्य, शोध सामग्री आदि के प्रकाशन की योजनाओं के लिए आयोग शत-प्रतिशत आधार पर सहायता देता है।

1969-70 में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खरीदने के लिए बी० एड० कालेजों को 10,000 रुपये की तथा एम० एड० कालेजों को 15,000 रुपये की सहायता शत-प्रतिशत आधार पर दी गई।

पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के लिए अनुदान

कालेजों में पुस्तकालय-सुविधाओं के विकास को आयोग उच्च प्राथमिकता देता आया है। शुरू के वर्षों में कालेजों को पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालय तैयार करने के लिए शत-प्रतिशत के आधार पर सहायता दी गई थी। 1968-69 में कालेजों को पुस्तकालय सुविधाएँ बढ़ाने के लिए इसी तरह का अनुदान दिया गया था। 1969-70 में भी कला, विज्ञान और वाणिज्य-कालेजों को पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खरीदने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर, छात्र-संख्या के अनुसार, 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के अनुदान दिये गये। कालेजों से कहा गया कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस धनराशि का उपयोग पाठ्य पुस्तकें एवं केन्द्रीय या विभागीय पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें अथवा संदर्भ-ग्रन्थ या पत्र-पत्रिकाएँ खरीदने में करें।

प्रत्येक आयुर्विज्ञान-कालेज को भी पुस्तकालय के लिए पुस्तकें अथवा पत्र-पत्रिकाएँ खरीदने के वास्ते शत-प्रतिशत आधार पर 10,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया।

दिल्ली के कालेजों को अनुदान

आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी अंगीभूत / संबद्धित कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान देता रहा है। आयोग इन कालेजों के स्वीकृत घाटे का 95 प्रतिशत पूरा कर देता है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट हिस्सेदारी के आधार पर, विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुमोदित अनावर्ती व्यय में भी आयोग की ओर से सहायता दी जाती है। 1969-70 में संबद्ध कालेजों को कुल मिलाकर 2.43 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये। 1969-70 में आयोग से अनुरक्षण-अनुदान पाने वाले कालेजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। इनमें विश्वविद्यालय-कालेज/संस्थाएँ भी शामिल हैं।

छात्रों की भरती की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 26 कालेजों को अपने यहाँ और अध्ययन-क्रमों की शुरूआत करने की अनुमति दी गई।

1969-70 में संबद्ध कालेजों को मूल महत्त्व की परियोजनाओं के लिए 44.76 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

9. अध्यापकों के लिए कार्यक्रम

विकास की सारी योजनाओं की सफलता बहुत हद तक अध्यापकों की योग्यता और लगन पर निर्भर होती है। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने कहा है :

> "शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान पर प्रभाव डालने वाले जितने भी विविध तत्त्व हैं उनमें निस्संदेह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है अध्यापकों का स्तर, क्षमता और चरित्र।"

यह जरूरी है कि अध्यापन-व्यवसाय की ओर देश के सुयोग्य एवं मेधावी स्त्री-पुरुष समुचित अनुपात में आकर्षित हों और उन्हें हम अपने व्यवसाय के लिए भरसक अच्छी से अच्छी तैयारी करने का मौका दें—साथ ही काम की ऐसी संतोषजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न करें जिनमें वे अपना पूरा-पूरा प्रभाव डाल सकें। शिक्षा और शोध के स्तर की रक्षा और उन्नयन के लिए यह बहुत जरूरी हैं कि अध्यापक को यथोचित सुख-सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ मिलें।

जैसा कि आयोग की 1968-69 की रिपोर्ट में कहा गया था, चौथी योजनाविधि में विश्वविद्यालय और कालेज-अध्यापकों के वेतनमान बदलने की सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकार कर ली थीं। संशोधित वेतनमान के लिए आर्थिक सहायता शिक्षा और युवक सेवा-मंत्रालय देगा।

ग्रीष्म-संस्थान संगोष्ठियाँ तथा पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम

आयोग ने ग्रीष्म-संस्थानों, संगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का एक बृहत् कार्यक्रम आरम्भ किया है ताकि अध्यापक विविध विषयों में नई संकल्पनाओं, नये परिप्रेक्ष्यों और नई तकनीकों के सम्पर्क में आयें। मंतव्य यह है कि इसके फलस्वरूप शिक्षा-प्रक्रिया में उनकी व्यावसायिक क्षमता और प्रभावशालिता बढ़े। तथाकथित 'ज्ञान-विस्फोट' के संदर्भ में समर्थ अध्यापक वही हो सकता है जो निरन्तर एक विद्यार्थी बना रहे।

ग्रीष्म-संस्थानों तथा अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों के आयोजन का मंतव्य यह है कि घिसे-पिटे पाठ्यक्रमों और शिक्षण-तकनीकों में परिवर्तन का रास्ता खुले ; ज्यों-ज्यों समय बीता है, इस कार्यक्रम ने निरन्तर प्रगति की है, इसका विस्तार हुआ है और इसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया है ।

स्कूली अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान

1969-70 में स्कूली अध्यापकों के लिए वैज्ञानिक विषयों में 60 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया । अमरीका की नेशनल साइंस फाउन्डेशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण ने किताबें और साज-सामान मुहैया किया और अमरीकी परामर्शदाताओं की सेवाओं की भी व्यवस्था की । उन्होंने इन संस्थानों के अध्यापक-वर्ग के सदस्य के रूप में काम किया । इनमें से जीवविज्ञान, रसायन, गणित और भौतिकी इन चार विषयों में एक-एक संस्थान का आयोजन ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से किया गया । अध्यापकों के लिए जो ग्रीष्म-संस्थान आयोजित होने हैं उनके वास्ते धन का प्रबन्ध राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् (NCERT) करती है । 1969-70 में इन ग्रीष्म-संस्थानों में भाग लेने वालों की कुल संख्या 2,321 रही ।

1969-70 तक वैज्ञानिक विषयों में कुल मिलाकर 293 संस्थानों का आयोजन किया गया और स्कूलों के 11,000 से अधिक अध्यापकों ने इनमें भाग लिया । अब तक जितने संस्थानों का आयोजन हुआ है और इनमें जितने लोग भरती हुए उनका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया जा रहा है :

स्कूली अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान : 1963-69

(कोष्ठकों मे दिये गये आँकड़े यह व्यक्त करते हैं कि कितने संस्थान आयोजित हुए)

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या				जोड़
	गणित	भौतिकी	रसायन	जीवविज्ञान	
1963	34(1)	43(1)	38(1)	39(1)	154(4)
1964	169(4)	170(4)	148(4)	153(4)	640(16)
1965	616(16)	488(13)	464(13)	261(7)	1829(49)
1966	490(12)	468(12)	410(11)	308(8)	1676(43)
1967	747(15)	572(16)	580(16)	482(13)	2381(60)
1968	646(15)	594(17)	612(16)	450(13)	2302(61)
1969	600(16)	551(14)	734(18)	436(12)	2321(60)
जोड़	3302(79)	2886(77)	2986(79)	2129(58)	11303(293)

अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में स्कूली अध्यापकों के लिए पूना और दिल्ली विश्वविद्यालयों में क्रमशः रसायन और गणित के आंतर-सेवा ग्रीष्म-संस्थान आयोजित किये गये। 1969-70 में लकादीव द्वीप-समूह के अध्यापकों के लिए वैज्ञानिक विषयों में छह सप्ताह का प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गणित के स्कूली अध्यापकों के लिए एक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम आयोजित किया।

कालेज अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान

आयोग अमरीका की नेशनल साइंस फाउन्डेशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण के सहयोग से कालेज-अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन करता है। 1969-70 में कालेज-अध्यापकों के लिए 56 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया। इसमें कालेजों के 1,928 अध्यापक आये। 1969-70 तक, वैज्ञानिक विषयों में कालेज-अध्यापकों के लिए 246 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया जा चुका है और उनमें 8,850 अध्यापक हिस्सा ले चुके हैं। प्रतिवर्ष जितने संस्थानों का आयोजन किया गया और उनमें जितने लोगों ने भाग लिया उनका उल्लेख नीचे की तालिका में किया जा रहा है :

कालेज अध्यापकों के लिए ग्रीष्म-संस्थान : 1964-69

(कोष्ठकों में दी गई संख्याएँ यह व्यक्त करती हैं कि कितने संस्थानों का आयोजन किया गया)

वर्ष	भाग लेने वालों की संख्या						आयोजित संस्थानों की कुल संख्या
	गणित	भौतिकी	रसायन	जीवविज्ञान	भूगर्भ	खाद्य तथा पोषण	
1964	163(4)	166(4)	162(4)	168(4)	—	—	659(16)
1965	269(7)	258(8)	248(7)	277(7)	—	—	1052(29)
1966	326(9)	308(9)	344(9)	257(7)	—	—	1235(34)
1967	560(14)	375(11)	522(14)	410(11)	—	—	1867(50)
1968	627(18)	508(14)	449(14)	525(15)	—	—	2109(61)
1969	500(14)	524(17)	457(13)	372(10)	35(1)	40(1)	1928(56)
जोड़	2445(66)	2139(63)	2182(61)	2009(54)	35(1)	40(1)	8850(246)

अंग्रेजी भाषा के ग्रीष्म-संस्थान

केन्द्रीय अँग्रेजी-संस्थान, हैदराबाद तथा ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से 1969-70 में अंग्रेजी-भाषा-शिक्षण के बारे में कालेज-अध्यापकों के लिए 11 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया। हैदराबाद के उक्त संस्थान, कौंसिल तथा आस्ट्रेलिया-सरकार ने इन संस्थानों के लिए विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराईं। ब्रिटिश कौंसिल ने पाठ्य-सामग्री की भी व्यवस्था की। अब तक अँग्रेजी भाषा शिक्षण पर 40 ग्रीष्म-संस्थान आयोजित हुए हैं और उनमें 2,068 कालेज-अध्यापकों ने भाग लिया है।

ग्रीष्म-संस्थानों में जिन लोगों ने भाग लिया उनमें जो लोग सबसे अच्छे सिद्ध हुए उनको 1969-70 में हैदराबाद के केन्द्रीय अँग्रेजी-संस्थान में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 300—300 रु० प्रतिमास की 6 अधिवृत्तियाँ दी गई। अँग्रेजी भाषा में ग्रीष्म-संस्थानों के अनुवर्ती कार्यक्रम मद्रास और मदुरै विश्वविद्यालयों में हुए। संस्थानों में भाग लेने वालों ने अँग्रेजी भाषा से सम्बन्धित परियोजनाओं पर काम किया—साथ ही भाषा-विज्ञान आदि के अध्ययन-सत्रों के अलावा उपचार-अध्यापन पर निदर्शनों का भी आयोजन किया गया।

फ्रेंच में ग्रीष्म-संस्थान

1969-70 में पूना विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में कालेज-अध्यापकों के लिए फ्रेंच-शिक्षण पर एक ग्रीष्म-संस्थान का आयोजन किया गया। इस कार्य में फ्रेंच-राजदूतावास का सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें कालेजों के 24 अध्यापकों ने भाग लिया।

अनुसंधान-भागग्रहण-कार्यक्रम

यह कार्यक्रम आयोग ने इसलिए चलाया है कि चुने हुए अध्यापकों को अनुसंधान के प्रणाली-विज्ञान तथा प्रविधियों में प्रवृत्त किया जा सके और सुयोग्य शिक्षकों के मार्ग-दर्शन में अनुसंधान के माध्यम से सृजनात्मक शैक्षिक अनुभव अर्जित करने के लिए उन्हें अवसर मिलें और यथोचित सुविधाएँ मिलें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1969-70 में 74 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

अनुसंधान-भागग्रहण-कार्यक्रम के लाभ गणित, भौतिकी, रसायन तथा जीवविज्ञान के उत्कृष्ट स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम का मंशा यह है कि चुने हुए विद्यार्थियों में जिज्ञासा और अनुसंधान-वृत्ति पनपे-बढ़े। 1969-70 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 86 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

अभिविन्यास-पाठ्यक्रम

विभिन्न विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में कालेजों के कनिष्ठ अध्यापकों के लिए 12 अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि नये अध्यापकों का शिक्षण-तकनीकों से परिचय हो, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके, कक्षा-परीक्षाएँ और अनुशिक्षण का आयोजन हो और शिक्षण-कार्यक्रम सुयोजित किया जा सके आदि।

सम्मेलन, संगोष्ठियाँ तथा पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम

आयोग शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों, परिसंवादों आदि के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देता रहा है। इनमें भाग लेने वालों को विविध विषयों में शिक्षण से, तथा अनुसंधान के स्तर ऊँचे उठाने से, सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का सुयोग मिल जाता है। 1969-70 में इस तरह के सम्मेलन, संगोष्ठियाँ आदि करने के 121 प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

रसायन-विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान के बारे में एक सम्मेलन श्रीनगर और बंगलोर में 1969 में हुआ था। इसका संयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा-परिषद्, अमरीका की नेशनल साइंस फाउंडेशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण की ओर से किया गया था। इसमें भारत और अमरीका के मूर्धन्य रसायन-विज्ञानियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में रसायन के अध्ययन अध्यापन की समस्याओं पर विचार किया गया और विशेषीकरण के नये क्षेत्रों के उद्घाटन, उपकरण के देशीय उत्पादन, पाठ्यपुस्तकें और विनिबन्ध तैयार करने के बारे में महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। सम्मेलन के विचार-विमर्श के बारे में एक रिपोर्ट विचारार्थ विश्वविद्यालयों को भेज दी गई।

इससे पहले आयोग ने प्रोफेसर जे०एम० ज़िमान* एफ०आर०एस० का यह सुझाव मान लिया था कि ठोस अवस्था भौतिकी में एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाये। इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और यह तय हो गया है कि इस पाठ्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, दिल्ली के सहयोग से मई-जून, 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय में किया जाये।

मूल्यांकन

ऊपर जिन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है वे अध्यापन और अनुसंधान में सुधार का रास्ता तैयार करने में आम तौर से सहायक हुए हैं। इनके कारण अध्यापकों को अपने कार्य-क्षेत्र की नई गतिविधियों, आधुनिक पाठ्यचर्या तथा शिक्षण-विधियों से परिचय पाने के अवसर मिले हैं। पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए और अभीष्ट भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करके शिक्षण-प्रक्रिया के उन्नयन के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनकी परिपूर्ति आयोग के सहयोग से आयोजित ग्रीष्म-संस्थानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों आदि के द्वारा होती है।

---

*जो दिल्ली विश्वविद्यालय में रदरफोर्ड स्मृति-व्याख्यान देने के लिए 1968 में भारत आये थे।

मूल्यांकन-सम्मेलनों के माध्यम से ग्रीष्म-संस्थानों का मूल्यांकन प्रतिवर्ष होता है। इनमें ग्रीष्म-संस्थानों के निदेशक तथा अन्य विशेषज्ञ भाग लेते हैं। निदेशकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जाता है और कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने के लिए यथावश्यक कार्यवाही की जाती है। बहुत सारे अध्यापक अपने ग्रीष्म-संस्थानों के अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग कर रहे हैं और कई विश्वविद्यालयों ने या तो नये पाठ्यक्रम शुरू किये हैं या मौजूदा पाठ्यक्रमों में यथोचित सुधार किये हैं। ग्रीष्म-संस्थानों के कार्यक्रम का कुल मिला कर बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया है और वह सर्वथा सन्तोषजनक रहा है और कई संस्थाओं में धीरे-धीरे नई संकल्पनाएँ, नये दृष्टिकोण और नई तकनीकें प्रयोग में आ रही हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) ने ग्रीष्म-संस्थानों के कार्यक्रम के बारे में कहा है कि वह "स्कूलों और कालेजों में विज्ञान-शिक्षा के सुधार के प्रयत्नों में बहुत बड़ा साधन है"।

अध्यापकों को अनुसंधान तथा विद्वत्तापूर्ण कार्य के लिए सहायता

विश्वविद्यालय तथा कालेज-अध्यापक जिन संस्थाओं में काम कर रहे हों उनमें अगर किताबों, रासायनिक द्रव्यों, उपकरण, क्षेत्रीय कार्य आदि के लिए सुविधाएँ न हों तो 1963-64 से आयोग इसके लिए भी सहायता देता रहा है बशर्ते कि इनकी आवश्यकता किसी अध्यापक को अपने अनुसंधान-कार्य के लिए हो। इस योजना के अन्तर्गत आयोग 5,000 रु० प्रतिवर्ष तक का अनुदान देता है। इस योजना से बहुत सारे विश्वविद्यालय तथा कालेज-अध्यापकों को ऐसा आवश्यक साज-सामान और पुस्तकें खरीदने में सहायता मिली है जिनकी उन्हें खास तौर से जरूरत रही हो।

1969-70 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 187 तथा वैज्ञानिक विषयों में 429 परियोजनाएँ सहायता के लिए स्वीकृत की गईं। योजना के आरम्भ से अब तक मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 1,234 अध्यापकों को तथा वैज्ञानिक विषयों में 2,229 अध्यापकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने अनुसंधान अथवा विद्वत्तापूर्ण कार्य के लिए सहायता मिल चुकी है।

राष्ट्रीय प्राध्यापकता

आयोग ने भौतिक विज्ञानों, जैव-विज्ञानों तथा भूविज्ञानों में सलाहकार-नामिकाएँ बनाई थीं और इन नामिकाओं की सिफारिशों के अनुसार यह तय किया गया है कि वैज्ञानिक विषयों में तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में कई राष्ट्रीय प्राध्यापकताओं का सूत्रपात किया जाये। ये शुरू में दो-दो वर्ष के लिए होंगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुछ विशिष्ट अध्यापकों और अनुसंधाताओं का राष्ट्रीय प्राध्यापकों के रूप में चुनाव किया जायेगा जो कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में जायेंगे तथा अपने विशिष्ट क्षेत्र की नई

गतिविधियों के बारे में भाषण देंगे और सम्बद्ध संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आशा है इससे एक तो उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान में लगे हुए अध्यापकों एवं छात्रों को ज्ञान के विविध क्षेत्रों के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा, दूसरे उच्चतर शिक्षा-व्यवस्था के अन्तर्गत एक समष्टिगत बौद्धिक वातावरण पैदा करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के पहले चरण में हर वर्ष 30 राष्ट्रीय प्राध्यापकों का चुनाव हुआ करेगा। हर प्राध्यापक कम से कम तीन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं का दौरा करेगा और प्रत्येक में कम से कम एक सप्ताह रहकर सम्बद्ध विभाग के उच्चतर अध्ययन आदि में हिस्सा लेगा तथा चुने हुए विषयों पर कम से कम दो व्याख्यान देगा। आयोग की ओर से राष्ट्रीय प्राध्यापक को 1,000 रु० का मानदेय मिलेगा और यात्रा-खर्च तथा व्याख्यान-साधनों आदि की तैयारी के लिए 250 रुपये का अनुदान भी मिलेगा। विश्वविद्यालयों से जो नामन किये गये और आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ-समिति ने जो सिफारिशें कीं उनके आधार पर 1970 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 वैज्ञानिकों और विद्वानों का चयन किया गया और उनके दौरे के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाये गये।

अध्यापकों का विनिमय

आयोग विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान देता रहा है कि वे देश के अन्य विश्वविद्यालयों अथवा ज्ञान-संस्थाओं से सुप्रसिद्ध अध्यापकों और विद्वानों को व्याख्यान देने, संगोष्ठियों का संचालन करने अथवा अनुसंधाताओं का मार्ग-दर्शन करने के लिए आमन्त्रित करें। जिन्हें आमन्त्रित करना होता है उनका चयन स्वयं विश्वविद्यालय करते हैं। कितने समय के लिए बुलाया जाये—यह इस बात पर निर्भर होता है कि उनको किस तरह का काम सौंपा जाता है और उनकी मूल संस्था उस अध्यापक अथवा विशेषज्ञ को कितने दिन बाहर रहने की अनुमति देती है। इस योजना के द्वारा विश्वविद्यालय अधिक व्यापक आधार पर विभिन्न उच्चतर ज्ञान-संस्थाओं के मेधावी प्राध्यापकों और विद्वानों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना पर जो भी खर्च हो वह विश्वविद्यालय अपने अनियत अनुदानों में से कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती।

यात्रा-अनुदान

देश के भीतर अनुसंधान या उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में जाने अथवा सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए अध्यापकों तथा अनुसंधाताओं को यात्रा-अनुदान देने के वास्ते विश्वविद्यालयों के पास कुछ धनराशि रहती है। इसके लिए विश्वविद्यालय शत-प्रतिशत आधार पर आयोग द्वारा दिये गये अपने अनियत अनुदानों में से खर्च कर सकता है।

Sub. National ...
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6248
8/7/91

विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए चुने गये अध्यापकों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। यह सहायता ऐसे अध्यापक को दी जाती है जिसे किसी सम्मेलन की अथवा उसकी किसी शाखा की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया हो अथवा जिसे लेखादि पढ़ने का निमन्त्रण मिला हो—बशर्ते कि संप्रेरक विश्वविद्यालय यात्रा का आधा खर्च उठाने को तैयार हो।

सेवानिवृत्त अध्यापक

1962-63 से आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों की इसमें मदद करता रहा है कि अगर निवृत्त होने के बाद भी कोई विशिष्ट अध्यापक अध्यापन-अनुसंधान के योग्य हों तो वे उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रह सकें। अपना काम जारी रखने के लिए ऐसे अध्यापकों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाता है और 1,000 रुपये आनुषंगिक व्यय के लिए दिया जाता है।

1969-70 में इस योजना के अन्तर्गत 48 अध्यापक चुने गये। वर्ष के अन्त में 151 सेवानिवृत्त अध्यापक देश की विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे थे—95 मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में और 56 वैज्ञानिक विषयों में।

अध्यापकों के लिए आवास

विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के लिए समुचित आवास की समस्या बड़ी गम्भीर है जिसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान होना चाहिए। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने लिखा है :

> "सामान्य अनुभव यह रहा है कि जो विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए आवास का प्रबन्ध करते हैं उन्हें लब्धप्रतिष्ठ अध्यापकों की सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं और वे वहीं बने भी रहते हैं। अगले बीस वर्ष के लिए हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत अध्यापकों को तथा सम्बद्ध कालेजों में 25 प्रतिशत अध्यापकों को रहने की जगहें मिल जायें"।

कुछ वर्ष पहले आयोग ने एक अध्यापक एवं छात्र-आवास-समिति बनाई थी। उस समिति का कथन है कि :

> "रहने की जगह का प्रबन्ध हो तो अच्छे अध्यापकों को अध्यापन-व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जा सकता है और उन्हें वहीं बनाये रखा जा सकता है। इस तरह विश्वविद्यालय तथा कालेज-परिसरों में समष्टि-जीवन का विकास किया जा सकता है। जहाँ भी सम्भव हो, अगर अध्यापकों के लिए परिसर में ही पुस्तकालयों अथवा प्रयोगशालाओं के पास रहने की जगहों का प्रबन्ध हो

सके तो वह अकेले अध्यापकों के लिए ही नहीं, छात्रों के लिए भी वरदान सिद्ध हो सकता है। अध्यापक परिसर से दूर रहते हैं तो उनकी उपयोगिता अनिवार्यतः घट जाती है और उनके तथा उनके छात्रों के बीच सम्पर्क निश्चय ही सीमित हो जाता है"।

1966-67 में विश्वविद्यालयों में (विश्वविद्यालयी कालेजों समेत) अध्यापकों की संख्या 14,900 थी; 1969-70 में यह बढ़कर 19,757 हो गई। सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों की संख्या इसी अवधि में 78,351 से बढ़कर 99,295 हो गई है। शिक्षा-आयोग (1964-66) की सिफारिश के अनुसार अध्यापकों के आवास की व्यवस्था करने के लिए आयोग के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं तो भी आयोग स्टाफ-क्वार्टर और शिक्षकावास बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सीमित सहायता दे रहा है।

तीसरी योजना के दौरान आयोग ने शिक्षकावास बनाने के बारे में 45 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकार किये। इन पर अनुमानतः 1.75 करोड़ रु० का व्यय होगा। आयोग ने सामान्य हिस्सेदारी के आधार पर, 1.50 करोड़ रुपये के अनुदान देना स्वीकार कर लिया है। तीसरी योजना की अवधि में स्टाफ-क्वार्टर बनाने के बारे में 42 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे। इन पर खर्चे का अनुमान 3.42करोड़ रु० था। इसमें आयोग का खर्चे का हिस्सा कुल 2.14 करोड़ रु० था। 1965-66 तक स्टाफ क्वार्टरों और शिक्षकावासों के लिए कुल मिलाकर विश्वविद्यालयों को 2.25 करोड़ रुपया दिया गया।

पिछले चार वर्षों में स्टाफ क्वार्टर और शिक्षकावास बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को जो अनुदान दिये गये हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आँकड़े लाख रु० में)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये	
	विश्वविद्यालय	कालेज
1966-67	92.15	4.15
1967-68	45.79	2.17
1968-69	27.16	9.05
1969-70	20.95	16.90

1969-70 में स्टाफ क्वार्टरों और शिक्षकावासों के बारे में 40 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार किये गये जिनके बनाने के खर्च में आयोग का हिस्सा 34.08 लाख रुपये होगा।

जाहिर है कि इस समय आयोग के जो साधन है उन साधनों के बूते पर स्टाफ क्वार्टरों और शिक्षकावासों के बारे में शिक्षा-आयोग (1964-66) द्वारा सुझाये गये लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं है—उसने कहीं अधिक मात्रा में साधन जुटाने होंगे।

10. छात्रों के मामले

शिक्षा-आयोग (1964-66) की सम्मति में "शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह छात्र-कल्याण की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाती"। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्र-सेवाओं और छात्र-कल्याण के कार्यक्रम में बराबर और सक्रिय रुचि ली है और वह यह मानता है कि यह शिक्षा के विकास का एक अनिवार्य अंग है। छात्र जिन स्थितियों में रहते और काम करते हैं उनमें अगर सुधार हो और छात्र-समाज के लिए अनिवार्य सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था हो तो शैक्षिक वातावरण पर उसका गहरा असर पड़े बिना नहीं रह सकता और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। छात्र-कल्याण और उससे सम्बन्धित समस्याओं की भली भाँति जाँच की जा चुकी है और आयोग अपने साधनों की सीमाओं के भीतर छात्र-समाज की अनिवार्य सुविधाएँ बढ़ाने और उन्हें विस्तार देने के काम की उच्च प्राथमिकता दे रहा है।

छात्रों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और दस वर्ष से ही कम समय में वह दुगुनी हो गई है—ऐसी स्थिति में छात्र-कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त साधन की आवश्यकता तत्काल हैं और उसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति होनी चाहिए।

आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों की वास्तविक कठिनाइयों और आवश्यकताओं पर सावधानी और सहानुभूति के साथ विचार करना जरूरी है और यह सुझाव भी दिया है कि छात्रों की वास्तविक कठिनाइयों और शिकायतों को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए अध्यापकों और छात्रों की संयुक्त समितियां बनाई जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अथवा कालेज शैक्षिक बंधुत्व की संस्थाएँ होती हैं और अगर उनमें अध्यापकों, छात्रों तथा प्रशासन के बीच कहीं ध्रुवीकरण के लक्षण प्रकट हों तो उनकी ओर तुरंत ध्यान देकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

शिक्षा तथा युवक-सेवा-मंत्रालय ने 21-23 अप्रैल को एक कुलपति-सम्मेलन बुलाया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 23-25 मई, 1969 को छात्र- प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इन दोनों सम्मेलनों में विश्वविद्यालयों

तथा कालेजों के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों में छात्रों के भाग लेने के सवाल पर विस्तार से विचार किया गया था*।

इस बात पर आम तौर से सभी सहमत हैं कि छात्रावासों, छात्रघरों, अनावासी छात्र-केन्द्रों, कैंटीनों, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों, पाठ्यचर्या-सहवर्ती कार्यक्रमों आदि के प्रबन्ध में छात्रों का कारगर सहयोग अपेक्षित है। साथ ही इस बात पर भी पूर्ण सहमति है कि अनुशासन की रक्षा में छात्रों का सक्रिय सहयोग एकदम जरूरी है। परंतु विश्वविद्यालयों और कालेजों के शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में छात्रों के भाग लेने के सवाल पर आयोग की एक और समिति विचार कर रही है।

छात्र-समाज की अनिवार्य सुविधाएँ देने के लिए आयोग ने जो कार्यक्रम शुरू किये है उनकी सूचना नीचे दी जा रही है :

छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान के स्तरों पर छात्रों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और विशेष अध्ययनों का परिमाण भी बहुत बढ़ा है तथा उसमें विविधता भी बहुत आई है—अतः इस बात की आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि अनुसंधान-छात्रवृत्तियों तथा अधिवृत्तियों की समुचित व्यवस्था की जाये। उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के लिए तो विशेष रूप से छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों का सूत्रपात किया गया है और अनुसंधान के स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए भी छात्रवृत्तियाँ तथा अधिवृत्तियाँ हैं। इनके अलावा आयोग हर वर्ष विविध क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान के उन्नयन के लिए एक निश्चित संख्या में छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ देता है। अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्चतर शोध के लिए मानविकी सामाजिक विज्ञानों, वैज्ञानिक विषयों, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में प्रवर और अवर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ये छात्रवृत्तियाँ एक समिति की सिफारिशों पर दी जाती हैं जो इसी काम के लिए बनाई गई हैं। अनुसंधान-उन्नयन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर विश्वविद्यालय को अनुसंधान-वृत्तियाँ देने की भी छूट होती है।

---

* इन दोनों सम्मेलनों में जो विचार-विमर्श हुआ उसका इस रिपोर्ट में अलग से उल्लेख किया गया है।

1969-70 में आयोग ने जो अधिवृत्तियाँ दीं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्षेत्र / विषय	अधिवृत्तियाँ		मूल्य और अवधि
	प्रवर	अवर	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान	21	55	प्रवर वृत्ति 500 रुपये माहवार की और
वैज्ञानिक विषय	33	124	अवर वृत्ति 300 रु० माहवार की है*
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	47	—	प्रत्येक 400 रु० प्रति माह की है**

* प्रवर अधिवृत्तियाँ उन लोगों के लिए हैं जो या तो डाक्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हों या उसके समकक्ष कोई मौलिक कृति प्रकाशित करा चुके हों और जिनमें मौलिक रचना की प्रवृत्ति हो। ये अधिवृत्तियाँ दो वर्ष के लिए होती हैं और विशेष सूरतों में उनकी अवधि एक साल बढ़ाई जा सकती है। अवर अधिवृत्तियाँ आम तौर से उन लोगों के लिए होती हैं जिन्हें एम० ए० या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद एक साल का शोध का अनुभव हो। ये आम तौर से तीन साल के लिए होती हैं। हर अधिवृत्ति के साथ—प्रवर हो या अवर —1,000 रुपये प्रति वर्ष की रकम और दी जाती है जो शोध-कार्य के अन्तर्गत आनुषंगिक व्यय के लिए होती हैं। आवश्यकता हो तो अधिवृत्ति की अवधि में 2,000 रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि क्षेत्र-कार्य के लिए और शोध-कार्य पूरे हो जाने पर प्रकाशन के लिए भी दी जाती है।

** हर अधिवृत्ति के साथ उसके अतिरिक्त 1,000 रु० की राशि आनुषंगिक व्यय के लिए और 2,000 रु० की राशि क्षेत्रीय कार्य और शोधकार्य के प्रकाशन के लिए दी जाती है। ये अधिवृत्तियाँ उन लोगों को दी जाती हैं जिन्होंने इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में निष्णात (मास्टर) की उपाधि प्राप्त की हो और जो उस क्षेत्र में उच्च अध्ययन तथा शोध कर रहे हों.

1969-70 के अंत में आयोग की अधिवृत्तियों के अधीन मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 174, वैज्ञानिक विषयों में 229 तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 47 अनुसंधाता काम कर रहे थे। आयोग की अधिवृत्तियां पाने वाले अनुसंधाताओं के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को 22.52 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

ऊपर जिन अधिवृत्तियों की चर्चा की गई है वे तो अखिल भारतीय आधार पर और चयन-समितियों की सिफारिशों पर दी जाती हैं—इनके अलावा आयोग ने 3 वर्ष के लिए 250—250 रुपये की 600 अनुसंधान-वृत्तियाँ* देने का अधिकार 70 विश्वविद्यालयों को दे दिया है। यह भी तय किया गया कि हर छात्रवृत्ति के साथ आनुषंगिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये का अनुदान और दिया जाये। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि उनके लिए वैज्ञानिक विषयों में जितनी छात्रवृत्तियाँ नियत की गई हैं उनमें से 2/3 स्वयं दें और बाकी जहाँ सुविधा हो संबद्ध कालेजों में शोध-कार्य के उन्नयन के लिए अलग नियत कर दें। 1969-70 में उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए कुल मिलाकर 29.72 लाख रुपये की रकमें विश्वविद्यालयों को दी गईं।

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन के उन्नयन के लिए 250—250 रुपये की अवर छात्रवृत्तियाँ देने के वास्ते आयोग संबद्ध विश्वविद्यालयों को सहायता देता रहा। इस काम के लिए 1969-70 में विश्वविद्यालयों को 32.11 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए (120—120 रुपये प्रति माह की) 22 छात्रवृत्तियाँ उत्तर-पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को दी गईं। 1,200—1,200 रु० प्रति वर्ष के मूल्य की 19 छात्रवृत्तियाँ अरबी और फ़ारसी में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दी गईं।

छात्रों के रहने की जगहें

शिक्षा-आयोग (1964-66) ने यह महसूस किया था कि इस बात की बड़ी सख्त जरूरत है कि छात्रों के लिए रहने की कहीं अधिक जगह की व्यवस्था की जाये। आयोग का सुझाव था कि पूर्व-स्नातक स्तर पर भरती किये गये छात्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत

*1968-69 में अनुसंधान-वृत्तियों की संख्या 500 थी।

के लिए और स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों के लिए रहने की जगह का प्रबंध होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1962 में एक समिति नियुक्त की थी जिसने यह अनुमान लगाया था कि चौथी योजना के अंत तक 3 लाख छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास की व्यवस्था हो तब विश्वविद्यालयों और कालेजों में 25 प्रतिशत छात्रों को रहने की जगह मिल सकेगी। इस पर लगभग 120 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। किंतु अब तो चूँकि इमारतें बनवाने की लागतें बढ़ गई है, इसलिए अतिरिक्त छात्रावास बनवाने पर कहीं अधिक खर्च बैठ जायेगा। इतना पैसा आयोग के पास नहीं है।

तीसरी योजना के दौरान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 119 छात्रावास बनवाने की स्वीकृति दी जिसका खर्चा लगभग 5.59 करोड़ रुपये पड़ा। छात्रावासों के लिए पिछले चार वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों को जो अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा यों है :

छात्रावासों का निर्माण : 1966-67 से 1969-70

(आँकड़े लाख रुपयों में हैं)

वर्ष	जो अनुदान दिये गये	
	विश्वविद्यालय	कालेज
1966-67	52.02	29.90
1967-68	58.39	10.58
1968-69	72.95	23.85
1969-70	68.48	34.62

1969-70 तक आयोग ने छात्रावास बनवाने के बारे में 428 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं।

मौजूदा छात्रावासों में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए सीमित सहायता देने का फैसला किया गया। सामूहिक भोजन-कक्ष, रसोईघर, कामन रूम, सफाई का प्रबन्ध तथा कैंटीन आदि में सुधार कराने के बारे में विश्वविद्यालयों से सुझाव भेजने को कहा गया। 1969-70 में विश्वविद्यालयों को इस काम के लिए 4.10 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाँच-समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र-सुविधाओं के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को विशेष सहायता देने के सवाल पर आयोग की एक समिति ने विचार किया। इस समिति की सिफारिश पर आयोग छात्रावास सुविधाएँ बढ़ाने-सुधारने आदि के लिए 9.27 लाख रुपये का अनुदान देने को सहमत हो गया। 1969-70 में इस काम के लिए विश्वविद्यालय को पाँच लाख रुपया दिया गया। यह भी तय किया गया है कि छात्र-सुविधाओं के बारे में और विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की जाँच भी वही समिति करे जो इस सिलसिले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा करने गई थी।

खेल और शारीरिक शिक्षा

आयोग खेल के मैदान बनाने के लिए और सहायक चीजें खरीदने के लिए, जिमनाजियम की व्यवस्था करने के लिए, खेल के मंडप/ट्रैक तथा तैरने के तालाब बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देने को सहमत हो गया है। विश्व-विद्यालयों तथा कालेजों से प्रस्ताव मँगाये गये।

विश्वविद्यालयों और कालेजों से जो प्रस्ताव आये उन पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। चूँकि इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए आयोग के पास जो धनराशि थी वह विश्वविद्यालयों और कालेजों की कुल आवश्यकताओं की तुलना में सीमित थी, इसलिए समिति ने सिफारिश की कि शुरू-शुरू में जिमनाजियम बनाने के लिए 12 विश्वविद्यालयों और 81 कालेजों को सहायता दी जाये। समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं और खेल के मैदानों के सुधार के लिए कुछ और धनराशि नियत करने के सवाल पर और विचार किया जायेगा।

छात्रघर/अनावासी छात्र-केन्द्र

छात्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसे गंभीर अध्ययन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और सुविधाएँ नहीं मिली होतीं—चाहे वे अपने घरों में रह रहे हों,

चाहे किराये के घरों में। आयोग छात्रघर और अनावासी छात्र-केन्द्र बनाने में विश्वविद्यालयों और कालेजों की मदद कर रहा है जिसका उद्देश्य और बातों के अलावा यह है कि फ़ुर्सत के समय दिवा-छात्रों को पढ़ने-लिखने की सुविधाएँ मिल सकें। छात्रघर बनाने के लिए आयोग विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये की सहायता दे सकता है जबकि उसका अनुमानित व्यय 1,25,000 रुपये होता है। छात्रघर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक वक्त में 100 छात्र बैठकर पढ़-लिख सकें, 5,000 किताबों के लिए स्टैक-कक्ष हो, एक कैफ़ेटेरिया हो और एक भोजन-कक्ष। किताबों के लिए और भी अनुदान दिया जा सकता है। इस योजना के मूल्य और महत्त्व को देखते हुए यह तय किया गया है कि चौथी योजना के विकास-कार्यक्रमों के लिए नियत अर्थराशि के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को छात्रघर के लिए सहायता दी जाये। अगर किसी विश्वविद्यालय को अतिरिक्त छात्रघर की आवश्यकता हो तो उसका व्यय चौथी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नियत राशि में ही समेटना होगा। आयोग अब तक छात्रघरों के निर्माण के बारे में 59 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकार कर चुका है*।

अनावासी छात्र-केन्द्र स्थापित करने के लिए आयोग जो सहायता देता है वह 35,000 रु० तक सीमित है। कालेजों के बारे में स्थायी सलाहकार-समिति की सिफारिश पर अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि जिस कालेज में छात्रों की संख्या 1,000 या उससे ऊपर हो उसे एक बड़ा अनावासी छात्र-केन्द्र या दो छोटे केन्द्र बनाने के लिए 70,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाये। 1969-70 तक अनावासी छात्र-केन्द्र बनाने के बारे में आयोग 306 कालेजों के प्रस्ताव स्वीकार कर चुका था।

स्वास्थ्य-केन्द्र

आयोग ने स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित करने में विश्वविद्यालयों की सहायता की है जहाँ डाक्टरी परीक्षा और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज हो सके। 5,000 छात्रों वाले विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। जिस विश्वविद्यालय में छात्र-संख्या अधिक हो उसे आयोग 1,00,000 रुपये तक का अनुदान दे सकता है। स्वास्थ्य-केन्द्रों की व्यवस्था करने के बारे में अब तक 40 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव माने जा चुके हैं।

कुछ चुने हुए कालेजों में स्वास्थ्य-केन्द्र बनाने के सवाल पर भी एक समिति ने विचार किया है और इस बारे में प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

---

* इसमें बड़े अनावासी छात्र-केन्द्रों के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं।

छात्र-सहायता-कोष

आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र-सहायता-कोष में योगदान करता रहा। इस कोष में पढ़ाई या परीक्षा की फीस तथा किताबें खरीदने के लिए और पढ़ाई से संबंधित अन्य खर्चों के लिए छात्रों को सहायता दी जाती है। इस कोष में विश्वविद्यालय और कालेज छात्रावास का देय, खाने का खर्चा, कपड़े या दवा का खर्चा चुकाने के लिए भी सीमित सहायता दे सकते हैं। छात्रों के चन्दे तथा अन्य स्रोतों से जितना धन जमा होता है उतना ही धन इस कोष के लिए विश्वविद्यालय को आयोग की तरफ से दे दिया जाता है—परंतु इस मद में अधिक से अधिक 10,000 रु० प्रति वर्ष तक दिया जा सकता है। कालेजों के छात्र-सहायता-कोष के लिए उनकी छात्र-संख्या के अनुसार 500 से 3,000* रुपये तक की सहायता दी जाती है। 1969-70 में इस खाते में विश्वविद्यालय तथा कालेजों को कुल मिलाकर 25.06 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

छात्र-सेवा-कार्यक्रम

आयोग ने वर्तमान छात्रावासों में सुविधाएँ बढ़ाने के लिए (जिसमें सफाई-व्यवस्था भी शामिल है) तथा छात्रों के कामन रूम और कैंटीनों के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य, अध्यापक-प्रशिक्षण तथा विधि-कालेजों को उनकी छात्र-संख्या के आधार पर 2,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक के अनुदानों की स्वीकृति दी। 1969-70 में इस खाते में कालेजों को कुल मिलाकर 17.07 लाख रुपये की अदायगियाँ की गईं**।

भ्रमण-छात्रवृत्तियाँ

एक समिति की सिफारिश पर आयोग ने विश्वविद्यालयों को भ्रमण-छात्रवृत्तियों के लिए सीमित सहायता देना स्वीकार कर लिया ताकि छात्र राष्ट्रीय विकास, सांस्कृतिक इतिहास, शिक्षा आदि की दृष्टि से रोचक स्थानों का भ्रमण करने के लिए जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक 5,000 रुपये की सहायता दी जा सकती है। इसके अधीन विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 36,297 रुपये के अनुदान दिये गये।

* 1970-71 से विश्वविद्यालय को इस मद में आयोग के अधिकतम योगदान की सीमा 10,000 रु० से बढ़ाकर 15,000 रु० कर दी गई है और कालेज के लिए आयोग की सहायता की राशि 750 रु० से 3,250 रु० तक होगी।

** आयोग ने फैसला किया है कि 1970-71 में छात्र-सेवा-कार्यक्रम के लिए कालेजों को उनकी छात्र-संख्या के अनुसार 5,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक के अनुदान दिये जायेंगे।

विश्वविद्यालयों द्वारा पोषित इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी-विभागों/संस्थाओं में छात्रों के दौरों के लिए भी सीमित सहायता प्रदान की गई।

11. समितियाँ और सम्मेलन

अध्यापन और अनुसंधान के विकास की समस्याओं के बारे में आमतौर से आयोग इन पर विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ-समितियों का मार्गदर्शन तथा मंत्रणा प्राप्त कर लेता है। फैसले करने से पहले आयोग भरसक शिक्षा-जगत का मत प्राप्त कर लेता है और आवश्यक सलाह-मशविरा कर लेता है। आयोग की समितियों का ऐसा गठन किया जाता है कि उनका स्वरूप भरसक अधिक से अधिक प्रतिनिधि हो। स्थायी समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन होता रहता है।

1969-70 में आयोग ने जो महत्त्वपूर्ण समितियाँ बनाईं और सम्मेलन बुलाये, उनमें से कुछ विशेष उल्लेखनीय समितियों-सम्मेलनों की चर्चा नीचे की जा रही है :

कुलपति-सम्मेलन

शिक्षा तथा युवक-सेवा-मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित छठा कुलपति-सम्मेलन 21 से 23 अप्रैल, 1969 तक हुआ। सम्मेलन में आयोग के सदस्यों, योजना आयोग के सदस्य (शिक्षा), विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं के कुलपतियों तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी और आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज के निदेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य रूप से इन प्रश्नों पर विचार हुआ :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति,

(ख) पाठ्यक्रम तथा परीक्षा-सुधार,

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों में छात्रों का भागग्रहण, और

(घ) विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों का निर्माण।

सम्मेलन ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के बारे में, जन-शक्ति की आवश्यकताओं के संदर्भ में नामांकनों के बारे में, भरती की नीति, वर्तमान पाठ्यचर्या तथा परीक्षा-प्रणाली के बारे में, अध्यापक-शिक्षा, विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध—जिसमें विश्वविद्यालय के मामलों में छात्रों के भागग्रहण का सवाल भी शामिल है, विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों के निर्माण, राष्ट्रीय सेवा-कोर, राष्ट्रीय खेलकूद-संगठन तथा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की। आम तौर से जो सिफारिशें की गई थीं वे आयोग ने स्वीकार कर लीं और उन्हें विचारार्थ विश्वविद्यालयों को

भेज दिया गया। सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि छात्र-समाज की जो भी वास्तविक आवश्यकताएँ और कठिनाइयाँ हों उन पर सहानुभुतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों के अधिकारी इन मामलों पर कभी-कभी छात्रों से विचार-विमर्श कर लिया करें और जल्दी से जल्दी यथोचित उपचार कर सकें। सुझाव दिया गया कि छात्रावासों, छात्रघरों, कैंटीनों पुस्तकालयों और वाचनालयों, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के प्रबन्ध के प्रश्नों पर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि छात्रों का भरपूर और सार्थक सहयोग मिले। इसके अलावा छात्र-समाज की अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में छात्रों की मत लिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अधिकारियों को यह कोशिश करनी चाहिए कि अनुशासन की रक्षा में छात्रों का सहयोग रहे। सम्मेलन ने सुझाव दिया कि आयोग एक अध्ययन-दल नियुक्त करे जो और बातों के अलावा इन बातों पर विचार करे : विश्वविद्यालय-प्रबंध की समस्याओं पर —विशेषत: विभिन्न विश्वविद्यालय-निकायों के गठन और संरचना के संदर्भ में विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध कालेजों के परस्पर संबंध पर जिसमें संबंधन की शर्तें और प्रबन्ध-समितियों के गठन का प्रश्न भी शामिल है और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के सांविधिक निकायों में छात्रों के भाग लेने के सवाल पर इस सिफारिश के अनुपालन में आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के प्रबन्ध के मसलों पर विचार करने के लिए डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। अलग-अलग मसलों पर विस्तार से विचार करने के लिए कई दल नियुक्त किये गये हैं। समिति का काम अभी जारी है।

सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार एक और समिति भी नियुक्त की गई है जिस का काम खर्चे में बचत करने तथा विश्वविद्यालय-प्रशासन के व्यय को संगति देने, तथा साथ ही भौतिक सुविधाओं का सही-सही उपयोग करने की समस्या का अध्ययन करना है।

छात्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन

23 से 25 मई, 1969 तक दिल्ली विश्वविद्यालयों में एक छात्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन शिक्षा एवं युवक-सेवा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया था। इसमें 51 विश्वविद्यालयों के, तथा 9 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं के, तीन प्रौद्योगिक-संस्थानों के तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसिज के छात्र-प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के मामलों में छात्रों को कारगर ढंग से भाग लेना चाहिए। रोजगार के अवसरों, छात्र-संगठनों तथा सलाहकार एवं मार्गदर्शन-ब्यूरों की भूमिका और पाठ्यचर्या तथा परीक्षाओं के सुधार के बारे में भी सिफारिशें की गई।

इस सम्मेलन ने जो सुझाव दिये उनकी सूचना विश्वविद्यालयों तथा राज्य-सरकारों को उनके विचारार्थ भिजवा दी गई।

कुलपतियों की सलाहकार समिति

देश में उच्चतर शिक्षा के विकास के मामलों पर आयोग को सलाह देने के लिए कुलपतियों की एक सलाहकार समिति पहले बनाई जा चुकी है। इसकी बैठक आम तौर से साल में दो या तीन बार होती है। इसके वर्तमान सदस्यों की सूची परिशिष्ट XIII में दी गई है।

सलाहकार-समिति की 7 अगस्त और 4 दिसम्बर, 1969 को बैठकें हुईं। उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जो इस प्रकार हैं :

(i) भारत सरकार आयोग को अतिरिक्त धनराशि दे ताकि विकास-कार्यक्रमों के क्रियान्वय की गति बनी रहे और योजना-आयोग ने चालू योजना की अवधि में उच्चतर शिक्षा के लिए जो धनराशि नियत की है, उसका पूरा-पूरा उपयोग हो जाये।

(ii) वैज्ञानिक विषयों के अतिरिक्त मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में भी ग्रीष्म-संस्थान-कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

(iii) स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए कालेजों को सहायता देने के बारे में जो वित्तीय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं उनमें संशोधन किया जाये।

(iv) आयोग ने विश्वविद्यालयों को जो अनुसंधान-वृत्तियाँ दी हुई हैं, उनका मूल्य बढ़ाया जाये।

(v) विदेशी भाषाएँ - विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका की भाषाएँ - पढ़ाने की सुविधाएँ बढ़ाई जाये।

(iv) विश्वविद्यालय शिक्षा को रोजगार से उन्मुख करने की बात पर विचार करें ताकि उसका सम्बन्ध देश की विकासगत आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।

प्रादेशिक कुलपति-सम्मेलन

पहले यह फैसला किया गया था कि प्रादेशिक कुलपति-सम्मेलन बुलाया जाये ताकि आयोग को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विकास और सामंजस्य की समस्याओं पर संबद्ध प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर

मिल सकें। फलतः आयोग तथा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं के कुलपतियों की एक बैठक 21 मार्च, 1970 को बम्बई में हुई। बैठक में और बातों के अलावा इन बातों पर जोर दिया गया :

(क) विश्वविद्यालय-संस्थाओं में छात्रों के प्रतिनिधित्व जैसे सवालों पर राज्य-सरकारों को संबद्ध विश्वविद्यालयों से सलाह-मशविरा किये बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए।

(ख) पुस्तकालय-सुविधाओं का उपयोग करने के लिए छात्रों को अँग्रेजी का समुचित ज्ञान होना चाहिए।

(ग) राज्य-सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे विश्वविद्यालयों के सामान्य व्यय को, और कीमतों की निरन्तर वृद्धि को, ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयों के लिए एकमुश्त समुचित अनुदान नियत करने के सवाल पर विचार करें।

(घ) प्रदेश में स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के सवालों पर पुनर्विचार किया जाये।

आयोग ने संबद्ध राज्य-सरकारों से कहा है कि वे एकमुश्त अनुदान वाली सिफारिश पर विचार करें।

परिकलन-सुविधा समिति

विश्वविद्यालयों में परिकलन (कंप्युटर) सुविधाओं की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए आयोग ने एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की और उससे कहा गया कि वह इन सुविधाओं के विकास की योजना प्रस्तुत करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसने प्रादेशिक आधार पर सावधानी से चुने हुए विश्वविद्यालयों में परिकलन-सुविधाएँ आरम्भ करने के बहुविध लाभों पर जोर दिया है। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि ऐसे प्रादेशिक केन्द्र अनुसंधान में परिकलन-विज्ञान और परिकलन-सुविधाओं में शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ ही पास-पड़ोस के उद्योगों के लिए परामर्शदात्री सेवा की भी व्यवस्था कर सकते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि प्रादेशिक परिकलन केन्द्रों को परिकलन-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ तथा स्नातकोत्तर स्तर पर इस क्षेत्र के विशेष कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

विधि-शिक्षा-समिति

आयोग को विधि शिक्षा तथा अनुसंधान के बारे में सलाह देने के लिए एक समिति पहले बनाई जा चुकी है इस बारे में मौजूदा सुविधाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा चुका है। बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के विचारार्थ छात्रवृत्तियों तथा अधिवृत्तियों की एक

योजना तैयार की जा रही है । समिति की सिफारिशों पर आयोग ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि विधि-कालेजों के पूर्णकालिक अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ने जाने चाहिए। इस बारे में जो सिफारिशें आई थीं वे विचारार्थ शिक्षा तथा युवक-सेवा-मंत्रालय को भेज दी गई हैं। आयोग ने विधि-शिक्षा-पद्धतियों के बारे में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करने के लिए केरल विश्वविद्यालय को सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

समाजकार्य-शिक्षा सलाहकार-समिति

जुलाई 1969 में समाज-कार्य-शिक्षा तथा प्रशिक्षण के बारे में एक स्थायी सलाहकार समिति बनाई गई थी। इसके जिम्मे काम यह था कि इस क्षेत्र की मौजूदा सुविधाओं तथा स्तरों का आकलन करे तथा समाज-कल्याण-कार्यक्रमों के लिए कार्मिकों की आवश्यकता का भी पता लगाये। समिति ने समाज-कार्य में स्नातकोत्तर स्तर के बारे में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और उसमें ग्राम-क्षेत्रों की आवश्कताओं पर विशेष ध्यान दिया है। समाज-कल्याण के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा-समिति

आयोग ने एक प्रौढ़ शिक्षा-समिति नियुक्त की कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों को शामिल करने के तरीके सुझाये। प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा की विधियों और लक्ष्यों की चर्चा है और इस बारे में सुझाव भी दिये गये हैं कि विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्रों का गठन किस प्रकार का होना चाहिए। इरादा यह है कि रिपोर्ट छापकर विश्वविद्यालयों के सूचनार्थ और मार्गदर्शनार्थ प्रचारित कर दी जाये।

जनसंख्या-अध्ययन-समिति

भारत में चुने हुए विश्वविद्यालय-केन्द्रों में जनसंख्या-अध्ययन का आयोजन और उन्नयन करने के सवाल पर विचार करने के लिए आयोग ने एक समिति बनाई थी। जनसंख्या-अध्ययन के लिए अंतर्विषय शोध-केन्द्र स्थापित करने के बारे में बम्बई और मदुरै विश्वविद्यालयों तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज, बम्बई के सुझाव विचाराधीन हैं।

अन्य समितियाँ

निम्नलिखित विषयों पर आयोग को सलाह देने के लिए स्थायी समितियाँ बनाई गई हैं :

(i) उच्चतर अध्ययन केन्द्रों,

(ii) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्चतर शिक्षा,

(iii) कालेजों के विकास,

(iv) सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रमों,

(v) अध्यापक-शिक्षा,

(vi) क्षेत्रीय अध्ययन,

(vii) छात्रवृत्तियो और अधिवृत्तियों, तथा

(viii) कालेज-विज्ञान-सुधार-कार्यक्रम पर

केंन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सवालों पर इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की स्थाई समिति विचार करती है ।

इनके अलावा, विविध समस्याओं पर आयोग को सलाह देने के लिए समय-समय पर तदर्थ समितियाँ बना दी जाती हैं ।

पाठ्यक्रम-समिति

चूँकि ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि समय-समय पर मौजूदा पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण-क्रमों का समीक्षात्मक अध्ययन होता रहे । आयोग ने भौतिक और जैवविज्ञानों तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के कई विषयों में विशेषज्ञ समितियाँ नियुक्त कीं कि वे मौजूदा सुविधाओं, पाठ्यक्रमों और अध्यापन तथा अनुसंधान के स्तरों का अध्ययन-मूल्यांकन करें और उनके सुधार के लिए सुझाव दें । निम्नलिखित विषयों की समितियों की रिपोर्ट विचारार्थ विश्वविद्यालयों को भेजी जा चुकी :

(1) गणित
(2) बनस्पति-विज्ञान
(3) जीव-रसायन
(4) रसायन-विज्ञात
(5) भूगोल
(6) अँग्रेजी
(7) समाज-कार्य
(8) पुस्तकालय-विज्ञान
(9) शिक्षा
(10) समाजशास्त्र
(11) राजनीति-शास्त्र
(12) दर्शन
(13) मनोविज्ञान
(14) अरबी और फारसी

जैव-विज्ञानों के लिए एक समिक्षा-समिति नियुक्त हो चुकी है ।

समीक्षा-समितियों की सिफारिशों से विश्वविद्यालयों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों का आयोजन और पुनर्व्यवस्था करने में आम तौर से सहायता मिली है।

जीव-विज्ञानों के क्षेत्र में अन्तर्विषय-अध्ययन का कितना मूल्य और महत्त्व है, इसकी समझ दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर जैव-विज्ञान-विभागों में समेकित जैव-वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये गये हैं।

परामर्श-नामिकाएँ

आयोग ने विविध विषयों में अध्ययन और अनुसंधान के उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए भौतिक विज्ञानों की - जिनमें गणित और सांख्यिकी भी शामिल हैं, जैव-विज्ञानों की, तथा भूविज्ञानों की नामिकाएँ बना दी हैं। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए भी ऐसी कई नामिकाएँ बना दी गई है।

वैज्ञानिक विषयों की नामिकाओं ने अंतर्विषय-अध्ययनों, अच्छे स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण, अनुसंधान के उन्नयन, राष्ट्रीय प्राध्यापकताओं की स्थापना आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। मानविकी तथा सामाजिक-विज्ञानों की नामिकाओं ने अपना काम हाल ही में शुरू किया है और उनकी सिफारिशें अभी आनी हैं

12. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विदेशी सहायता

आयोग ऐसे कार्यक्रमों को उन्नयन करता रहा है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग निहित हो और विश्वविद्यालयों को यूनेस्को से तथा कुछ विदेशों से सहायता प्राप्त करने में मदद देता रहा है। इस सहयोग और सहायता के फलस्वरूप सम्बद्ध विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान के अपने कार्यक्रमों का विकास करने में सफल हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विदेशी सहायता के कार्यक्रमों का क्रियान्वय आयोग वित्त-मंत्रालय के आर्थिक कार्य-विभाग तथा भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों के सलाह-मशविरे से करता है। 1969-70 में कई विश्वविद्यालयों को यूनेस्को, सोवियत रूस, ब्रिटेन, अमरीका तथा कुछ अन्य देशों से सहायता प्राप्त हुई। यह सहायता विश्वविद्यालयों को भारत सरकार तथा सम्बद्ध देश और अभिकरणों के विशेष करारों के अन्तर्गत प्राप्त हुई।

यूनेस्को, सोवियत रूस तथा ब्रिटेन से उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों को जो सहायता प्राप्त हुई उसका उल्लेख इस रिपोर्ट में अन्यत्र किया जा चुका है। अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण तथा नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ग्रीष्म-संस्थानों के कार्यक्रम के लिए जो सहायता दी है उसकी भी चर्चा अन्यत्र की गई है।

विभिन्न विदेशी स्रोतों और अभिकरणों से विश्वविद्यालयों के निमित्त सहायता के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की चर्चा आगे की जा रही है :

अमरीकी पी० एल०—480 कार्यक्रम

अमरीका के पी० एल०—480 कार्यक्रम के रुपया-कोष की ओर से कई विश्वविद्यालय-विभागों और अन्य संस्थाओं को कृषि, भौतिकी तथा जैव-विज्ञानों में अनुसंधान के लिए सहायता प्राप्त हुई। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय जाँच-समिति ने अमरीका के पी० एल०-480 कोष से आर्थिक सहायता के लिए 26 प्रस्तावों की सिफारिश की जिन पर लगभग 75,00,000 रुपये खर्च होंगे। 1969-70 के अन्त में इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों में 29 अनुसंधान-प्रस्तावों पर काम हो रहा था। इन पर लगभग 73,00,000 रुपये का व्यय होगा।

सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रम

भारत सरकार तथा कुछ अन्य देशों की सरकारों ने सांस्कृतिक विनिमय के जो कार्यक्रम स्वीकार किये हैं उनके अन्तर्गत आयोग भारत तथा अन्य सम्बद्ध देशों के बीच शिक्षाविदों, अध्यापकों तथा विद्वानों के विनिमय की व्यवस्था करता है। 1969-70 के दौरान भारत तथा निम्नलिखित देशों के बीच विनिमय के कार्यक्रम लागू किये गये :

> बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, संयुक्त अरब गणराज्य, सोवियत रूस और यूगोस्लाविया।

आयोग, तदर्थ आधार पर, लेटिन अमरीकी देशों, मेक्सिको, यूनान, नार्वे, टर्की, ईरान तथा मराको के साथ भी विनिमय-कार्यक्रम लागू करने के लिए सहमत हो गया है।

1969-70 में विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रमों के अन्तर्गत 50 भारतीय अध्यापक विभिन्न देशों की यात्रा पर गये और 25 विदेशी शिक्षा-विशारद् भारत आये। इनके अतिरिक्त आयोग ने लीपजिग विश्वविद्यालय, जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य और सेजद विश्वविद्यालय, हंगरी के समकुलपतियों का जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र-विभागाध्यक्ष का इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पेशल बोटेनिक्स, हंबोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन के निदेशक का तथा दूरपूर्व एशिया-संस्थान, सोवियत रूसी एकेडमी ऑफ साइंसिज, मास्को के उपनिदेशक का भी स्वागत किया। आयोग ने, तदर्थ आधार पर, टर्की से दो कुलपतियों को, ईरान से दो अध्यापकों को तथा लेटिन अमरीकी देशों से दो विद्वानों को बुलाने का भी निर्णय किया। आयोग इन देशों को भी भारत से इतने ही अध्यापक अथवा शिक्षाविद भेजने की व्यवस्था करेगा।

सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए स्थायी सलाहकार-समिति है और इनमें भाग लेने वालों का चुनाव उसी की सिफारिशों पर किया जाता है। विदेशी विद्वानों आदि का चुनाव सम्बद्ध देश करते हैं और भारत में वे कहाँ रहकर काम करेंगे

और उनका कार्यक्रम क्या होगा—इसकी व्यवस्था आयोग देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के सलाह-मशविरे से करता है।

व्याख्यान देने अथवा उच्चतर अध्ययन या अनुसंधान के लिए सोवियत रूस तथा अन्य देशों की यात्रा के वास्ते 1970-71 के दौरान आयोग 54 भारतीय अध्यापकों का नामांकन करेगा। इस सिलसिले में देश के विश्वविद्यालयों से नामांकन माँगे गये हैं।

भारत-ब्रिटेन-विनिमय-कार्यक्रम

भारत और ब्रिटेन के बीच युवा वैज्ञानिकों के यात्रा-विनिमय का कार्यक्रम 1963 में शुरू किया गया था। इससे भारत तथा ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच युवा वैज्ञानिकों का सम्पर्क बढ़ाने में सहायता मिली है। 1969-70 में सात भारतीय वैज्ञानिक ब्रिटेन गये तथा चार ब्रिटिश वैज्ञानिक भारत आये।

इस कार्यक्रम का क्षेत्र बढ़ाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है। 1970-71 में ब्रिटेन जाने के लिए 15 भारतीय अध्यापकों का नामांकन किया जा चुका है। दूसरी ओर इसी वर्ष के दौरान ब्रिटेन के आठ वैज्ञानिकों के भारत-यात्रा के नामांकन भी आयोग ने स्वीकार किये।

अन्य कार्यक्रम

1968-69 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत-रूसी आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग-करार के अन्तर्गत सोवियत सहायता से उसमानिया विश्वविद्यालय में एक भूभौतिकी-अन्वेषण-केन्द्र की स्थापना की जायेगी। शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय परामर्शदाताओं की सेवाओं के लिए, सोवियत रूस में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तथा केन्द्र के लिए आवश्यक साज-सामान के सम्भरण के लिए सोवियत अधिकारियों के साथ संविदों पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसके लिए सोवियत रूस आवश्यक दीर्घकालिक ऋण देगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन सोवियत सलाहकार भारत आ चुके हैं। केन्द्र के तीन अध्यापक उच्च प्रशिक्षण के लिए सोवियत रूस गये हुए हैं। कुछ साज-सामान भी आ चुका है। केन्द्र की सहायता के लिए एक सलाहकार-समिति है। जो शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किये जाने होते हैं, यह उनका आयोजन और समीक्षा करती है।

1970 के वर्ष का नामकरण यूनेस्को ने 'अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष' किया था। इस सिलसिले में, आयोग ने 10 अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ देना स्वीकार किया हैं ताकि दूसरे देशों के वैज्ञानिक और विद्वान उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान के लिए भारत आ सकें--विशेषत: उन विश्वविद्यालय-विभागों में जिन्हें उच्चतर-अध्ययन-केन्द्रों के रूप में मान्यता मिल गई है। ये छात्रवृत्तियाँ 750—750 रुपये प्रति मास की हैं। इसके अतिरिक्त हर अध्येता को

अपने अनुसंधान-कार्य से सम्बन्धित आनुषंगिक व्यय के रूप में 1,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान और दिया जायेगा। विदेश-मन्त्रालय ने इसकी सूचना सम्बद्ध देशों को भिजवा दी है।

कामनवेल्थ-छात्रवृत्ति-योजना के अन्तर्गत जो कामनवेल्थ शैक्षिक-कर्मचारी-अधिवृत्तियाँ हैं, उनके लिए नामांकन किये गये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए स्थापित भारतीय राष्ट्रीय आयोग के साथ सहयोग करता रहा और यूनेस्को से संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के बारे में जो सूचना आई वह विश्वविद्यालयों में प्रचारित कर दी गई। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बारे में विश्वविद्यालयों से जो नामांकन आये उनकी सिफारिश भारतीय राष्ट्रीय आयोग से कर दी गई।

13. विदेशी मुद्रा

1968-69 की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि विशेषीकृत पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान-कार्यक्रमों के सन्दर्भ में जो अपेक्षाएँ हैं, उनके कारण विश्वविद्यालयों और कालेजों की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं—खास तौर से ऐसे जटिल उपकरणों के बारे में जो अभी देश में तैयार नहीं किये जा सकते। अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना की अवधि में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए 9.94 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

लाइसेंस-वर्ष 1969-70 के दौरान भारत सरकार ने 31.23 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मुक्त संसाधन वाले क्षेत्रों से और 21.55 लाख रु० की विदेशी मुद्रा रुपया अदायगी वाले क्षेत्र से विश्वविद्यालयों और कालेजों को दी। मुक्त-संसाधन क्षेत्र की मुद्रा बहुत-कुछ मौजूदा उपकरण के रख-रखाव और बदलाव के लिए उपलब्ध थी। उपलब्ध विदेशी मुद्रा का एक हिस्सा उस नये उपकरण के आयात के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था जिसकी आवश्यकता अनुसंधान की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए हो।

अमरीका से विशेषीकृत उपकरण के आयात के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को जो विदेशी मुद्रा दी गई उससे कुछ हद तक विदेशी मुद्रा की काफी देर से चली आती हुई आवश्यकता पूरी हुई। यह विदेशी मुद्रा भारत सरकार तथा अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास-अभिकरण के बीच एक ऋण-करार के अन्तर्गत दी गई। उक्त करार की चर्चा 1968-69 की रिपोर्ट में की जा चुकी है। करार के अन्तर्गत जिस उपकरण की माँग की गई थी वह धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों में आ रहा है।

पिछले वर्षों की तरह, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए स्थापित भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने 50,026 डालर के कूपन दिये जिन्हें आयोग ने कुछ विश्वविद्यालय-विभागों तथा

कालेजों के उपयोग के लिए दे दिया। इनसे अध्यापकों को अपने अध्यापन तथा अनुसंधान के कार्य के उन्नयन में मदद मिली। इस समय यूनेस्को के जितने कूपन दिये जाते हैं वे सम्बद्ध संस्थाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इन्हें बढ़ाने की प्रार्थना उक्त राष्ट्रीय आयोग से की जा चुकी है।

14. निष्कर्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यक्रम शुरू किये हैं और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की सहायता के लिए जो नीतियाँ स्वीकार की गई हैं उनकी चर्चा की जा चुकी हैं। 1969-70 में योजतागत तथा योजनेतर कार्यक्रमों के लिए प्रमुख मदों के अन्तर्गत आयोग ने जो खर्चा किया है उसका ब्यौरा परिशिष्ट XIV में दिया गया है। पिछले चार वर्षों में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास-परियोजनाओं के लिए जो अनुदान दिये गये और योजनेतर कामों पर जो खर्चा किया गया वह इस प्रकार है :

(आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

मद	व्यय			
	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
योजनेतर*	4.94	75.2	8.08	9.06
योजनागत**	11.56	11.45	12.55	15.55

आयोग के पास जो कुछ साधन हैं उनके आधार पर इस बात के सुयोजित प्रयत्न किये गये हैं कि उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए अधिक से अधिक भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाएँ मिलें तथा उच्चतर शिक्षा का स्तर तथा स्वरूप सुधरे। आयोग ने जो विकास-अनुदान दिये हैं उनसे विश्वविद्यालय और कालेज अपने पाठ्यक्रम चलाने में तथा अनुसंधान-कार्यक्रम शुरू करने में आवश्यक सुविधाएँ दे सके हैं। इस समय जो पाठ्यक्रम चालू हैं और विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन की जो सुविधाएँ मौजूद हैं उनकी विशेषज्ञ-समितियों ने समीक्षा की हैं और उनके सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए सुझाव दिये हैं। परीक्षा-प्रणाली के विविध पहलुओं की सावधानी से परीक्षा की गई है और मूल्यांकन के तौर-तरीके सुधारने की सिफारिशें की गई हैं। छात्र-कल्याण के सवालों पर भी यथोचित सोच-विचार किया गया है और जिन परिस्थितियों में छात्र रहते और पढ़ते-लिखते हैं उनमें सुधार लाने के लिए कदम उठाये गये हैं। अध्यापकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र की नई-नई गतिविधियों से परिचित कराने के लिए ग्रीष्म-संस्थानों, संगोष्ठियों तथा अभिविन्यास-

* केन्द्रीय विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत/सम्बद्ध कालेजों के अनुरक्षण-अनुदान भी इस में शामिल हैं।

**विश्वविद्यालय एवं कालेजों के विकास-कार्यक्रम के सभी खर्चे इन में शामिल हैं।

पाठ्यक्रमों का जो कार्यक्रम लागू किया गया, उसके बड़े अच्छे नतीजे निकले हैं। स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान-स्तरों पर और अधिक उत्कर्षके लिए उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना और विकास किया गया है। सम्बद्ध संस्थानों को अतिरिक्त अध्यापकों आदि के लिए तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला-सुविधाओं के लिए यथोचित वित्तीय सहायता दी गई है। अध्यापकों को अनुसंधान तथा विद्वत्तापूर्ण कृतित्व के लिए भी अनुदान दिये गये हैं। आयोग की एक स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कुछ चुने हुए अध्यापकों की सेवाओं का सेवानिवृत्ति के बाद भी उपयोग किया जा रहा है। अध्यापकों और अनुसंधाताओं को यात्रा-अनुदान भी दिये जाते हैं ताकि वे देश में अनुसंधान-केन्द्रों अथवा उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में जा सकें और काम कर सकें और विदेशों में सम्मेलनों में भाग ले सकें। उच्चतर अध्ययन तथा अनुसधान को गति देने के लिए अनुसंधान-वृत्तियाँ तथा अधिवृत्तियाँ भी दी जा रही हैं। कालेजों में विज्ञान-अध्ययन के नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और राष्ट्रीय प्राध्यापकों की नियुक्ति का भी सूत्रपात हुआ है।

आयोग विशेषज्ञ-समितियों के सहयोग और सहायता से काम करता है। शिक्षा-जगत के कर्णधारों से बराबर सलाह-मशविरा किया जाता है और उच्चतर शिक्षा के महत्त्वपूर्ण अंशों के बारे में आयोग को सलाह देने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया गया है। जिन विकास-कार्यक्रमों पर अमल हो रहा है उन पर भी समय-समय पर आयोग द्वारा नियुक्त समितियाँ पुनर्विचार करती हैं और उनका मूल्यांकन होता हैं और भावी सुधार के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए विचारों की जरूरत होती है परन्तु विचारों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है समुचित साधनों की और एक क्रांतिक आकार के आगे प्रयत्नों के केन्द्रीकरण की। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही है और निरन्तर गतिशील है उसके लिए तदनुसार प्रयत्न तथा साधनों की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनिवार्य सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है—ऐसी स्थिति में यह तय करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि परस्पर प्रतियोगी कार्यक्रमों में किसे कितनी प्राथमिकता दी जाये। फिर, परिवर्धन और सुधार की गति बड़ी तीव्र है—ऐसी हालत में किसी कार्यक्रम-विशेष पर पर्याप्त पूँजी न लगाई जाये तो उत्साहवर्धक परिणाम निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस सिलसिले में शिक्षा-आयोग (1964-66) के शब्द उल्लेखनीय हैं : "शिक्षा पर हम प्रति व्यक्ति जो निरपेक्ष धन-राशि व्यय करते है वह अमरीका जैसे अतिशय औद्योगीकृत देश के खर्च के मुकाबले लगभग सौवाँ हिस्सा होता है। जापान, अमरीका और सोवियत रूस अपने कुल खर्च का लगभग 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर देते हैं—भारत इससे कुल आधे के लगभग खर्च करता है।"

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश के सामने जो समस्या है वह इतनी विराट है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षा के स्तरों की रक्षा और उन्नयन के लिए विश्व-विद्यालयों तथा कालेजों को इस समय जितने साधन उपलब्ध है, उससे कहीं अधिक साधनों की उन्हें आवश्यकता है।

आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अनवरत सहयोग के लिए कृतज्ञ है और जिन अध्यापकों तथा शिक्षाविदों ने आयोग की विभिन्न समितियों के सदस्यों के रूप में काम किया है या कर रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। राज्य-सरकारों से, भारत-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से, योजना-आयोग से तथा आयोग के काम और गतिविधि से संबद्ध अधिकरणों से जो सहयोग-सहायता मिली हैं उसके लिए भी आयोग कृतज्ञता ज्ञापन करता है।

आर० के० छाबड़ा
सचिव

डी० एस० कोठारी
अध्यक्ष
ए० एस० अडके
जी० के० चंदीरमानी
इंदुमती चमनलाल
एस० धवन
पी० बी० गजेन्द्रगड़कर
ए० बी० लाल
तापस मजुमदार
पी० गोविंदन् नायर

परिशिष्ट I

भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ

1969-70

स्थापना वर्ष	क्रमांक	विश्वविद्यालय	कुल छात्र-संख्या
1	2	3	4
1857	(1)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	2,09,203
	(2)	बंबई विश्वविद्यालय	87,300
	(3)	मद्रास विश्वविद्यालय	1,22,740
1887	(4)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15,393
1916	(5)	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (वाराणसी)	12,273
	(6)	मैसूर विश्वविद्यालय	65,699
1917	(7)	पटना विश्वविद्यालय	12,747
1918	(8)	उसमानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद)	60,572
1921	(9)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	7,634
	(10)	लखनऊ विश्वविद्यालय	23,720
1922	(11)	दिल्ली विश्वविद्यालय	56,283
1923	(12)	नागपुर विश्वविद्यालय	65,101
1926	(13)	आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयर)	72,512
1927	(14)	आगरा विश्वविद्यालय	46,751
1929	(15)	अन्नामलाई विश्वविद्यालय (अन्नामलाईनगर)	6,837
1937	(16)	केरल विश्वविद्यालय (त्रिवेन्द्रम)	1,16,721
1943	(17)	उत्कल विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)	28,872
1946	(18)	सागर विश्वविद्यालय	20,741
1947	(19)	राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर)	53,097
	(20)	पंजाब विश्वविद्यालय (चंडीगढ़)	1,65,683
1948	(21)	गौहाटी विश्वविद्यालय	54,446
	(22)	कश्मीर विश्वविद्यालय (श्रीनगर)	14,498
1949	(23)	रुड़की विश्वविद्यालय	2,085
	(24)	पूना विश्वविद्यालय	61,420
	(25)	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	15,605
	(26)	कर्नाटक विश्वविद्यालय (धारवाड़)	58,460

परिशिष्ट 1 (क्रमशः)

1	2	3	4
1950	(27)	गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद)	66,934
1951	(28)	एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (बंबई)	8,879
	(29)	विश्वभारती (शांतिनिकेतन)	1,210
1952	(30)	बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर)	47,466
1954	(31)	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (तिरूपति)	32,114
1955	(32)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय (वल्लभ विद्यानगर)	11,501
	(33)	जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता)	5,312
1956	(34)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र)	4,518
	(35)	इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (खैरागढ़)	104
1957	(36)	विक्रम विश्वविद्यालय, (उज्जैन)	36,738
	(37)	गोरखपुर विश्वविद्यालय	36,840
	(38)	जबलपुर विश्वविद्यालय	19,099
1958	(39)	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी)	1,492
	(40)	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (औरंगाबाद)	27,506
1960	(41)	उत्तरप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (नैनीताल)	1,621
	(42)	बर्दवान विश्वविद्यालय	41,258
	(43)	कल्याणी विश्वविद्यालय	2,211
	(44)	भागलपुर विश्वविद्यालय	32,647
	(45)	रांची विश्वविद्यालय	34,841
1961	(46)	के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	—
1962	(47)	पंजाब कृषि विश्वविद्यलाय (लुधियाना)	3,218
	(48)	पंजाबी विश्वविद्यालय (पटियाला)	23,338
	(49)	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)	1,125
	(50)	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (सिलीगुड़ी)	18,979
	(51)	रवीन्द्र भारती (कलकत्ता)	1,794
	(52)	मगध विश्वविद्यालय (गया)	40,906
	(53)	जोधपुर विश्वविद्यालय	8,596
	(54)	उदयपुर विश्वविद्यालय	7,089
	(55)	शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर)	43,587

परिशिष्ट I (क्रमशः)

1	2	3	4
1964	(56)	इंदौर विश्वविद्यालय	19,461
	(57)	जिवाजी विश्वविद्यालय (ग्वालियर)	23,920
	(58)	रविशंकर विश्वविद्यालय (रायपुर)	24,102
	(59)	कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय (बंगलोर)	1,769
	(60)	आंध्रप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (हैदराबाद)	2,629
	(61)	बंगलोर विश्वविद्यालय	36,881
	(62)	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जबलपुर)	1,506
1965	(63)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	20,364
1966	(64)	कानपुर विश्वविद्यालय	35,483
	(65)	मेरठ विश्वविद्यालय	42,745
	(66)	मदुरै विश्वविद्यालय	55,689
	(67)	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय (राजकोट)	27,734
	(68)	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (सूरत)	17,544
1967	(69)	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	5,921
	(70)	संबलपुर विश्वविद्यालय	10,754
1968	(71)	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय (जामनगर)	2,014
	(72)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (नई दिल्ली)	79
	(73)	महाराष्ट्र कृषि-विद्यापीठ* (अहमदनगर)	2,658
	(74)	कालीकट विश्वविद्यालय	49,863
	(75)	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय (रीवाँ)	14,217
	(76)	असम कृषि-विश्वविद्यालय (जोरहाट)	729
1969	(77)	गुरु नानक विश्वविद्यालय (अमृतसर)	—
	(78)	जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू)	8,474
	(79)	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (अकोला)	3,115

* इसका नाम अब 'महात्मा फूले कृषि-विद्यापीठ' हो गया है।

परिशिष्ट I (क्रमशः)

मान्यता-प्राप्ति का वर्ष*	क्रमांक	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएँ	कुल छात्र-संख्या
1958	(1)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस (बंगलोर)	944
	(2)	भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान (नई दिल्ली)	605
1961	(3)	इंडियन स्कूल ऑफ़ इन्टरनेशनल स्टडीज (नई दिल्ली)	165
1962	(4)	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार)	299
	(5)	जामिया मिलिया इसलामिया (नई दिल्ली)	903
1963	(6)	गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद)	492
	(7)	काशी विद्यापीठ (वाराणसी)	1,716
1964	(8)	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसिज (बंबई)	132
	(9)	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (पिलानी)	2,090
1967	(10)	इंडियन स्कूल ऑफ माईंस (धनबाद)	317
		जोड़	24,32,630

टिप्पणी :

1. जिस वर्ष किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिनियम अंगीकार किया गया उसी वर्ष के आधार पर उनके नाम यहां क्रमानुसार दिये गये हैं ।
2. छात्रों की संख्या 15 अगस्त, 1969 तक की सूचना के आधार पर दी गई है और उसमें सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अंगभूत संबद्ध कालेजों के छात्रों की भी गिनती कर ली गई है। जहां तक इंदिरा कला-संगीत-विश्वविद्यालय, रवीन्द्र भारती तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रश्न है, उनके आँकड़ों में विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों की संख्या ही बताई है । के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र-संख्या कितनी है—इसकी सूचना नहीं मिल सकी । जिन कालेजों ने 1969-70 के आँकड़े नहीं भेजे, उनके संदर्भ में इससे पिछले साल के आँकड़ों का उपयोग कर लिया गया है ।
3. जोड़ में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कालेजों के इंटरमीडिएट कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या शामिल नहीं है ।

---

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्था के रूप में मान्यता का वर्ष ।

परिशिष्ट II

पाठ्यक्रम के अनुसार कालेजों का वितरण
1965-66 से 1969-70

पाठ्यक्रम	कालेजों की संख्या				
	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
कला, विज्ञान तथा वाणिज्य	1,796	1,915	2,054	2,219	2,361
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	103	105	106	105	106
आयुर्विज्ञान, फार्मेसी तथा आयुर्वेद, परिचर्या एवं दंत-चिकित्सा	123	137	141	157	167
विधि	70	69	66	77	85
कृषि	54	54	54	53	54
पशु-चिकित्सा विज्ञान	20	20	21	21	23
शिक्षा	193	200	202	224	235
प्राच्यविद्या	169	177	179	179	188
अन्य (शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा ललित कलाएँ)	71	72	76	77	78
जोड़	2,572	2,749	2,899	3,112	3,297

परिशिष्ट III

छात्रों की भरती में वृद्धि

1959-60 से 1969-70

वर्ष	कुल भरती*	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1959-60	9,97,137	68,515	7.5
1960-61	10,34,934	37,797	3.8
1961-62	11,55,380	1,20,446	11.6
1962-63	12,72,666	1,17,286	10.2
1963-64	13,84,697	1,12,031	8.8
1964-65	15,28,227	1,43,530	10.4
1965-66	17,28,773	2,00,546	13.1
1966-67	19,49,012	2,20,239	12.7
1967-68	22,18,972	2,69,960	13.9
1968-69	24,73,264	2,54,292	11.5
1969-70	27,92,630	3,19,366	12.9

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उतर प्रदेश के अंतर्गत इंटरमीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या भी इसमें शामिल है।

परिशिष्ट IV

छात्रों की भरती : संकायवार

1967-68 से 1969-70

संकाय	1967-68		1968-69		1969-70	
	भरती*	कुल का %	भरती*	कुल का %	भरती*	कुल का %
1	2	3	4	5	6	7
कला (प्राच्यविद्या समेत)	9,18,345	41.4	10,55,238	42.7	12,18,022	43.6
विज्ञान	7,37,858	33.3	8,02,369	32.4	9,14,739	32.8
वाणिज्य	2,19,831	9.9	2,55,568	10.3	2,96,325	10.6
शिक्षा	43,102	1.9	48,536	2.0	51,854	1.8
इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी	1,04,266	4.7	1,01,380	4.1	97,889	3.5
आयुर्विज्ञान	83,422	3.8	90,470	3.7	95,017	3.4
कृषि	51,639	2.3	53,120	2.1	43,415	1.6
पशुचिकित्सा-विज्ञान	6,610	0.3	6,590	0.3	6,131	0.2
विधि	44,581	2.0	49,520	2.0	56,240	2.0
अन्य	9,318	0.4	10,473	0.4	12,998	0.5
जोड़	22,18,972	100.0	24,73,264	100.0	27,92,630	100.0

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तरप्रदेश के अन्तर्गत इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी इसमें शामिल है।

परिशिष्ट V

छात्रों की भरती : स्तरवार

1967-68 से 1969-70

स्तर	1967-68		1968-69		1969-70	
	भरती*	कुल का %	भरती*	कुल का %	भरती*	कुल का %
प्री-यूनिवर्सिटी	4,85,271	21.9	5,17,021	20.9	5,62,947	20.2
इंटरमीडिएट	3,43,807	15.5	3,75,558	15.2	4,23,174	15.2
प्री-प्रोफेशनल	19,633	0.9	14,582	0.6	13,809	0.5
स्नातक	12,11,083	54.5	13,88,335	56.1	16,03,898	57.4
स्नातकोत्तर	1,17,250	5.3	1,35,459	5.5	1,46,804	5.3
अनुसंधान	11,479	0 5	12,145	0.5	12,474	0.4
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	30,449	1.4	30,164	1.2	29,524	1.0
जोड़	22,18,972	100.0	24,73,264	100.0	27,92,630	100.0

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तरप्रदेश के अन्तर्गत इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी इसमें शामिल है।

परिशिष्ट VI

विश्वविद्यालय-विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और उनका पदवार वितरण

1965-66 से 1969-70

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	प्राध्यापक*	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1	2	3	4	5	6
1965-66	1,273	2,115	9,710	1,193	14,291
	(8.9)	(14.8)	(68.0)	(8.3)	(100.0)
1966-67	1,401	2,320	10,264	915	14,900
	(9.4)	(15.6)	(68.9)	(6.1)	(100.0)
1967-68	1,606	2,575	12,110	1,165	17,456
	(9.2)	(14.8)	(69.3)	(6.7)	(100.0)
1968-69	1,872	2,834	12,991	1,361	19,058
	(9.8)	(14.9)	(68.2)	(7.1)	(100.0)
1969-70	1,903	2,944	13,449	1,461	19,757
	(9.6)	(1.49)	(68.1)	(7.4)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये हुए आँकड़े वर्ष-विशेष में कुल अध्यापक-वर्ग के संदर्भ में पद-विशेष का प्रतिशत अनुपात व्यक्त करते हैं।

* इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं

परिशिष्ट VII

संबद्ध कालेजों में अध्यापकों की पदनामवार संख्या 1965-66 से 1969-70

वर्ष	वरिष्ठ* अध्यापक	प्राध्यापक**	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1965-66	10,211	50,837	9,337	70,385
	(14.5)	(72.2)	(13.3)	(100.0)
1966-67	11,095	56,164	11,092	78,351
	(14.2)	(71.6)	(14.2)	(100.0)
1967-68	11,655	61,861	11,482	84,998
	(13.7)	(72.8)	(13.5)	(100.0)
1968-69	12,169	67,320	12,398	91,885
	(13.2)	(73.3)	(13.5)	(100.0)
1969-70	12,838	73,360	13,097	99,295
	(12.9)	(73.9)	(13.2)	(100.0)

टिप्पणि : कोष्ठक में दिये हुए आँकड़े वर्षविशेष में कुल अध्यापक-वर्ग के संदर्भ में पद-विशेष के प्रतिशत अनुपात को व्यक्त करते हैं।

* इनमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं।

** इनमें सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

परिशिष्ट VIII

जो डिग्रियाँ दी गईं
1964-65 से 1966-67

संकाय	डिग्रियां पाने वालों की संख्या			प्रतिशत वृद्धि
	1964-65	1965-66	1966-67	1965-67
कला-संकाय				
बी० ए०*	94,257	90,928	1,14,353	21.3
एम० ए०	26,180	27,960	30,726	17.4
डाक्टरेट	476	541	624**	31.1
विज्ञान-संकाय				
बी० एस-सी०*	38,230	42,437	49,767	30.2
एम० एस-सी०	7,290	8,009	8,892	22.0
डाक्टरेट**	520	683	765	47.1
वाणिज्य-संकाय				
बी० काम०*	18,395	20,930	22,611	22.9
एम० काम०	2,864	3,321	3,400	18.7
डाक्टरेट	23	20	26	13.0
शिक्षा-संकाय				
बी०एड०/बी०टी०	23,346	24,945	29,747	27.4
एम० एड०	803	810	911	13.4
डाक्टरेट	22	17	21	(—) 4 5
विधि-संकाय				
एल-एल०बी०/ बी०एल०	8,691	8,587	10,027	15.4
एल-एल० एम०	100	117	137	37.0
डाक्टरेट	2	1	3	50.0
कृषि-संकाय				
बी० एस-सी (कृषि)	5,569	4,902	6,129	10.1
एम० एस-सी (कृषि)	1,140	1,011	892	(—)21.8
डाक्टरेट****	127	92	96	(—)24.4

* इसमें आनर्स भी शामिल है ।

** गणित में दी गई डाक्टरेट की उपाधियों को विज्ञान-संकाय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।

*** इसमें भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान से निकले हुए छात्रों के भी आंकड़े शामिल है ।

परिशिष्ट VIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5
पशु चिकित्सा विज्ञान-संकाय				
बी० बी० एस-सी०	1,030	855	1,120	8.7
एम० वी० एस-सी०	151	104	174	15.2
डाक्टरेट	3	3	9	200.0
आयुर्विज्ञान-संकाय				
एम० बी० बी० एस०	4,635	5,516	6,317	36.3
एम० डी०/एम० एस०	940	1,049	1,115	18.6
डाक्टरेट	21	39	5	(—)76.2
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संकाय				
बी०ई०/बी०एस-सी (इंजी०)/बी०एस-सी (प्रौद्यो०) आदि	9,739	12,710	14,001	43.8
एम०ई०/एम०एस-सी (इंजी०)/एम०एस-सी (प्रौद्यो०) आदि	576	520	628	9.0
डाक्टरेट	32	39	33	3.1

परिशिष्ट IX

उच्चतर अध्ययन-केन्द्र

क्रमांक	विश्वविद्यालय	उच्चतर अध्ययन-केन्द्र के रूप में मान्य विभाग का नाम	विशेषीकरण का मुख्य क्षेत्र
1	2	3	4
		I विज्ञान	
1.	अन्नामलाई	समुद्री जीव-विज्ञान	समुद्री जीव-विज्ञान
2.	बम्बई	गणित	शुद्ध गणित
		रासायनिक प्रौद्योगिकी	अनुप्रयुक्त रसायन
3.	कलकत्ता	गणित	अनुप्रयुक्त गणित
		रेडियो-भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	रेडियो-भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स
4.	दिल्ली	भौतिकी	सैद्धांतिक भौतिकी
		रसायन	प्राकृतिक उत्पाद-रसायन
		वनस्पति-विज्ञान	पादप-आकारिकी तथा भ्रौणिकी
		प्राणि विज्ञान	कौशिका जीव विज्ञान तथा अंतःस्राविकी
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर	जैवरसायन	प्रोटीन, लिपिड और विटामिन
6.	मद्रास	भौतिकी	क्रिस्टल-विज्ञान तथा जैवभौतिकी
		वनस्पति-विज्ञान	पादप रोग-विज्ञान और कवक-विज्ञान
		गणित	शुद्ध गणित
7.	उसमानिया	खगोल-विज्ञान	खगोल-विज्ञान
8.	पंजाब	भूविज्ञान	हिमालयी भूविज्ञान तथा जीवाश्म-विज्ञान
		गणित	शुद्ध गणित

परिशिष्ट IX (क्रमशः)

1	2	3	4
9.	सागर	भूविज्ञान	संरचनात्मक भूविज्ञान तथा भू-अकारिकी
		II सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी	
1.	अलीगढ़	इतिहास	मध्ययुगीन भारतीय इतिहास
2.	अन्नामलाई	भाषा-विज्ञान	द्रविड़ भाषा-विज्ञान
3.	बड़ौदा	शिक्षा	शिक्षा
4.	बनारस	दर्शन	भारतीय दर्शन
5.	बंबई	अर्थशास्त्र	लोकवित्त तथा औद्योगिक अर्थशास्त्र
6.	कलकत्ता	प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति	प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति
7.	दिल्ली	अर्थशास्त्र	आर्थिक विकास तथा आर्थिक इतिहास
8.	मद्रास	दर्शन	अद्वैत तथा संबद्ध दर्शन-तंत्र
9.	पूना	अर्थशास्त्र (गोखले इंस्टीट्यूट)	कृषि-अर्थशास्त्र
		भाषा-विज्ञान (दकन कालेज)	अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान
		संस्कृत	संस्कृत साहित्य
10.	विश्वभारती	दर्शन	तत्त्व-मीमांसा

परिशिष्ट X

संकायवार भरती* : विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज
1969-70

संकाय	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	सम्बद्ध कालेज	जोड़	सम्बद्ध कालेजों में प्रतिशत अनुपात		
				1969-70	1968-69	1967-68
कला	1,18,713	9,42,709	10,61,422	88.8	87.2	86.9
विज्ञान	70,280	6,77,059	7,47,339	90.6	90.1	89.8
वाणिज्य	23,847	2,58,078	2,81,925	91.5	91.2	91.7
शिक्षा	6,111	45,743	51,854	88.2	87.9	88.1
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	26,837	71,052	97,889	72.6	72.4	71.6
आयुर्विज्ञान	6,763	88,254	95,017	92.9	91.2	90.6
कृषि	17,077	11,938	29,015	41.1	45.1	62.5
पशुचिकित्सा-विज्ञान	3,720	2,411	6,131	39.3	43.6	52.6
विधि	22,923	33,317	56,240	59.2	61.7	60.2
अन्य	1,809	3,989	5,798	68.8	53.9	55.7
जोड़	2,98,080	21,34,550	24,32,630	87.7	86.7	86.5

*बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तरप्रदेश की इंटरमीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या इसमें सम्मिलित नहीं ।

परिशिष्ट XI

स्तरवार भरती* : विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज
1969-70

स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	सम्बद्ध कालेज	जोड़	सम्बद्ध कालेजों में प्रतिशत अनुपात		
				1969-70	1968-69	1967-68
प्री-यूनिवर्सिटी	25,904	5,37,043	5,62,947	95.4	95.3	95.3
इंटरमीडिएट	125	63,049	63,174	99.8	99.5	99.6
प्री-प्रोफेशनल	1,023	12,786	13,809	92.6	92.5	94.8
स्नातक	1,71,522	14,32,376	16,03,898	89.3	88.2	87.9
स्नातकोत्तर	75,919	70,885	1,46,804	48.3	46.4	45.3
अनुसंधान	10,889	1,585	12,474	12.7	10.7	10.1
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	12,698	16,826	29,524	57.0	56.6	52.9
जोड़	2,98,080	21,34,550	24,32,630	87.7	86 7	86.5

*इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तरप्रदेश से सम्बद्ध इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की गिनती शामिल नहीं है।

परिशिष्ट XII

कालेजों को दिए गए विकास-अनुदान

1969-70

क्रमांक	योजना	धनराशि (रुपये)
1.	छात्रावासों का निर्माण	34,62,475
2.	प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय-सुविधाएँ	84,03,511
3.	स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण	16,90,226
4.	विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	11,84,769
5.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	5,80,463
6.	पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ	80,82,727
7.	कल्याण-योजनाएँ	
	(i) छात्र-सहायता-कोष	22,84,154
	(ii) अनावासी छात्र-केन्द्र	6,59,500
	(iii) शौकिया कामों के वर्कशाप	45,251
	(iv) पानी के कूलर	1,65,722
	(v) छात्र-कल्याण-कार्यक्रम	17,07,202
8.	(i) दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत/संबद्ध कालेजों को विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान	42,20,530
	(ii) नये कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान	2,55,000
9.	शतवार्षिकीय अनुदान	1,60,000
10.	चाँदमारी-क्षेत्रों का निर्माण	17,941
11.	छात्रवृत्तियाँ आदि	
	(i) अनुसंधान अधिवृत्तियाँ मानविकी और विज्ञान	2,19,766
	(ii) सेवानिवृत अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग	3,62,890
	(iii) अनुसंधाताओं को वित्तीय सहायता मानविकी और विज्ञान	2,60,905
	(iv) अरबी-फारसी में छात्र-वृत्तियाँ	19,181
	(v) अनुसंधान-छात्रवृत्तियां	48,299
	(vi) पर्वतीय क्षेत्र-छात्रवृतियाँ	6,055
12.	वेतनमान-संशोधन	2,189
13.	चॉक बोर्ड	2,19,798
14.	सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा-अनुदान	62,750
15.	विविध योजनाओं के लिए कालेजों को अनुदान	73,942
16.	प्रशिक्षण-कालेज	12,97,589
	जोड़	3,54,92,877

परिशिष्ट XIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुलपतियों की सलाहकार समिति

1. डा० जार्ज जैकब
   कुलपति
   केरल विश्वविद्यालय
2. डा० जे० एन० भान
   कुलपति
   जम्मू विश्वविद्यालय
3. डा० के०एल० श्रीमाली
   कुलपति
   बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
4. डा० के०सी० नायक
   कुलपति
   कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
   बंगलोर
5. डा० के० के० दत्ता
   कुलपति
   पटना विश्वविद्यालय
6. प्रोफेसर सरूप सिंह
   कुलपति
   दिल्ली विश्वविद्यालय
7. डा० एम०एस० स्वामिनाथन
   निदेशक
   भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान
   नई दिल्ली
8. डा० एम० एन० गोस्वामी
   कुलपति
   गौहाटी विश्वविद्यालय
9. श्री एन० डी० सुन्दरवादिवेलु
   कुलपति
   मद्रास विश्वविद्यालय
10. डा० पी० एल० भटनागर
    कुलपति
    राजस्थान विश्वविद्यालय
11. डा० आर० के० सिंह
    कुलपति
    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
12. प्रोफेसर आर० सत्यनारायण
    कुलपति
    उसमानिया विश्वविद्यालय
13. डा० एस० मिश्रा
    कुलपति
    उत्कल विश्वविद्यालय
14. डा० एस०एन० सेन
    कुलपति
    कलकत्ता विश्वविद्यालय
15. श्री एस० एस० भंडारकर
    कुलपति
    जीवाजी विश्वविद्यालय
16. श्री सूरज भान
    कुलपति
    पंजाब विश्वविद्यालय
17. डा० उमाशंकर जे० जोशी
    कुलपति
    गुजरात विश्वविद्यालय

परिशिष्ट XIV

व्यय : योजनागत तथा योजनेतर परियोजनाएँ

1969-70

प्रयोजन		रकम (रुपयों में)
योजनेतर परियोजनाएँ		
1.	प्रशासनिक व्यय	31,53,288
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान	6,31,25,000
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत/संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान	2,43,00,000
	जोड़ (योजनेतर परियोजनाएँ)	9,05,78,288
योजनागत परियोजनाएँ		
1.	केन्द्रीय और राज्य-विश्वविद्यालयों को मानविकी के लिए अनुदान	1,71,74,100
2.	केन्द्रीय और राज्य-विश्वविद्यालयों को विज्ञान के लिए अनुदान	3,60,56,319
3.	केन्द्रीय और राज्य-विश्वविद्यालयों को इजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान	2,68,13,687
4.	अंगभूत तथा संबद्ध कालेजों के लिए अनुदान	3,54,92,877
5.	केन्द्रीय तथा राज्य-विश्वविद्यालयों को विविध योजनाओं के लिए अनुदान	3,34,67,781
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि, पर किया गया विविध व्यय	4,58,949
7.	भारत-सरकार तथा अन्य स्रोतों से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों में से व्यय	60,04,651
	जोड़ (योजनागत परियोजनाएँ)	15,54,68,364
	कुल जोड़ (योजनागत तथा योजनेतर)	24,60,46,652

विश्वविद्यालय नामांकन

1959-60 से 1969-70

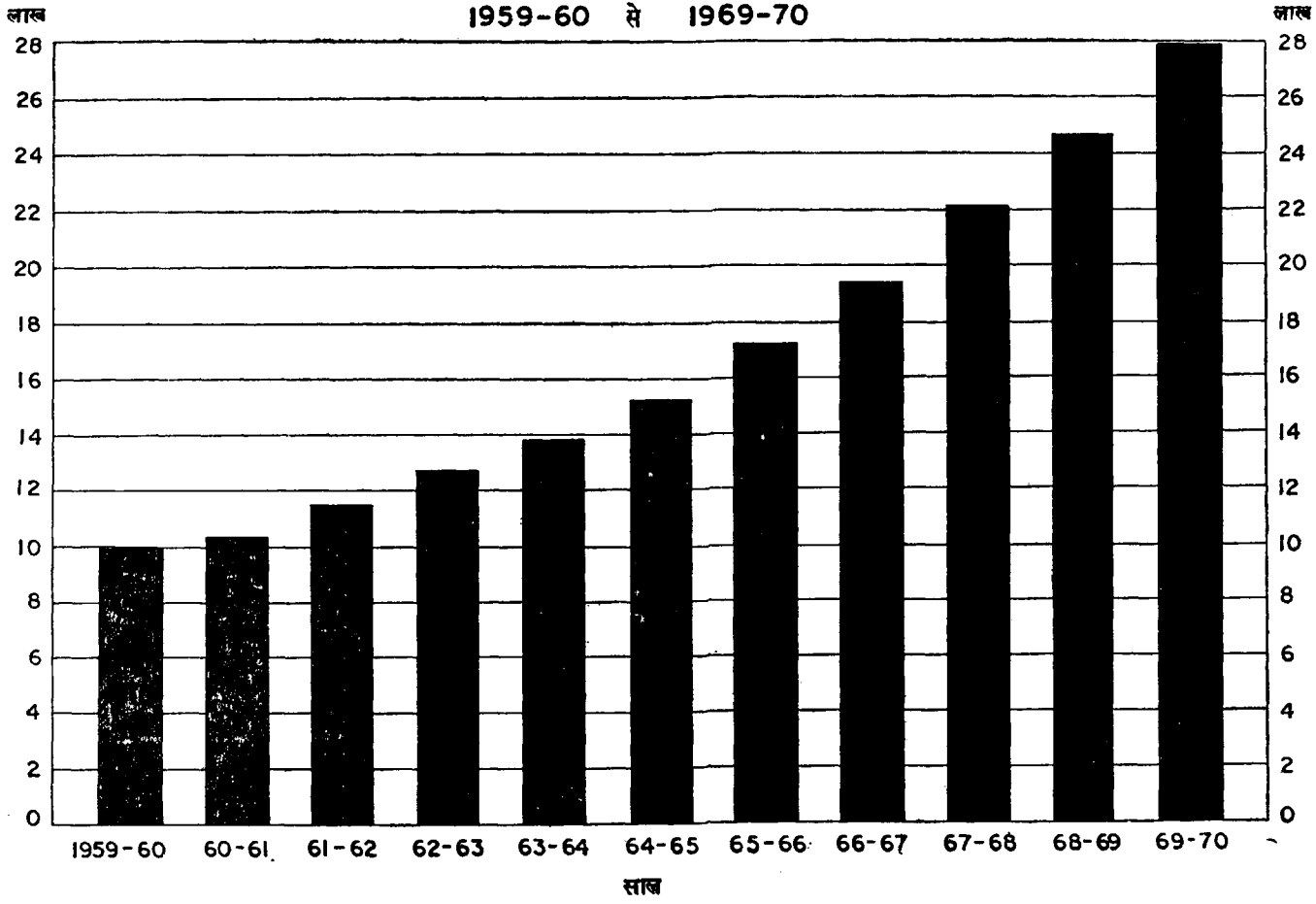

संकायवार नामांकन

1967-68 से 1969-70

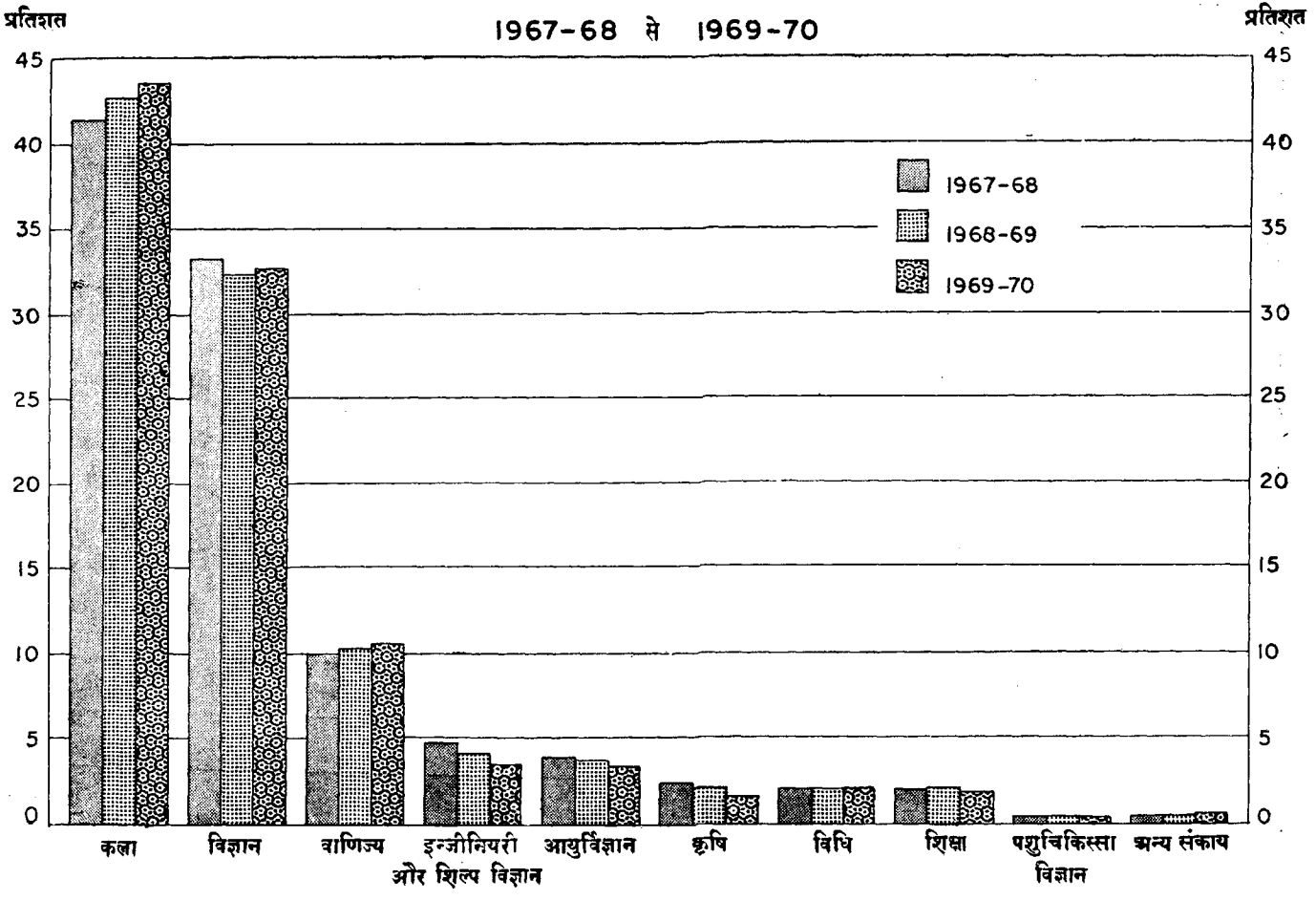

विभिन्न स्तरों पर नामांकन

1967-68 से 1969-70

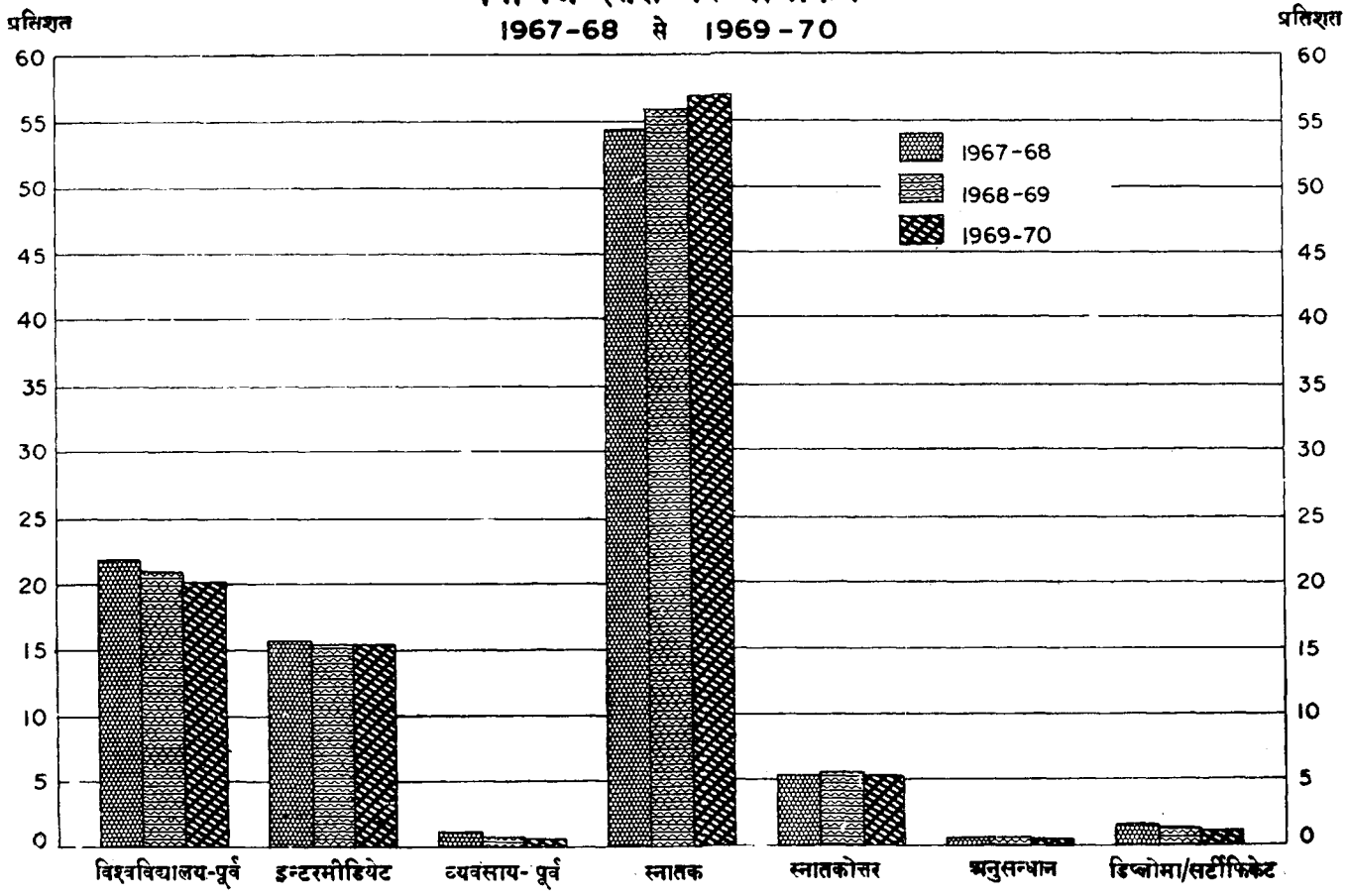

स्नातकोत्तर नामांकन

1959-60 से 1969-70

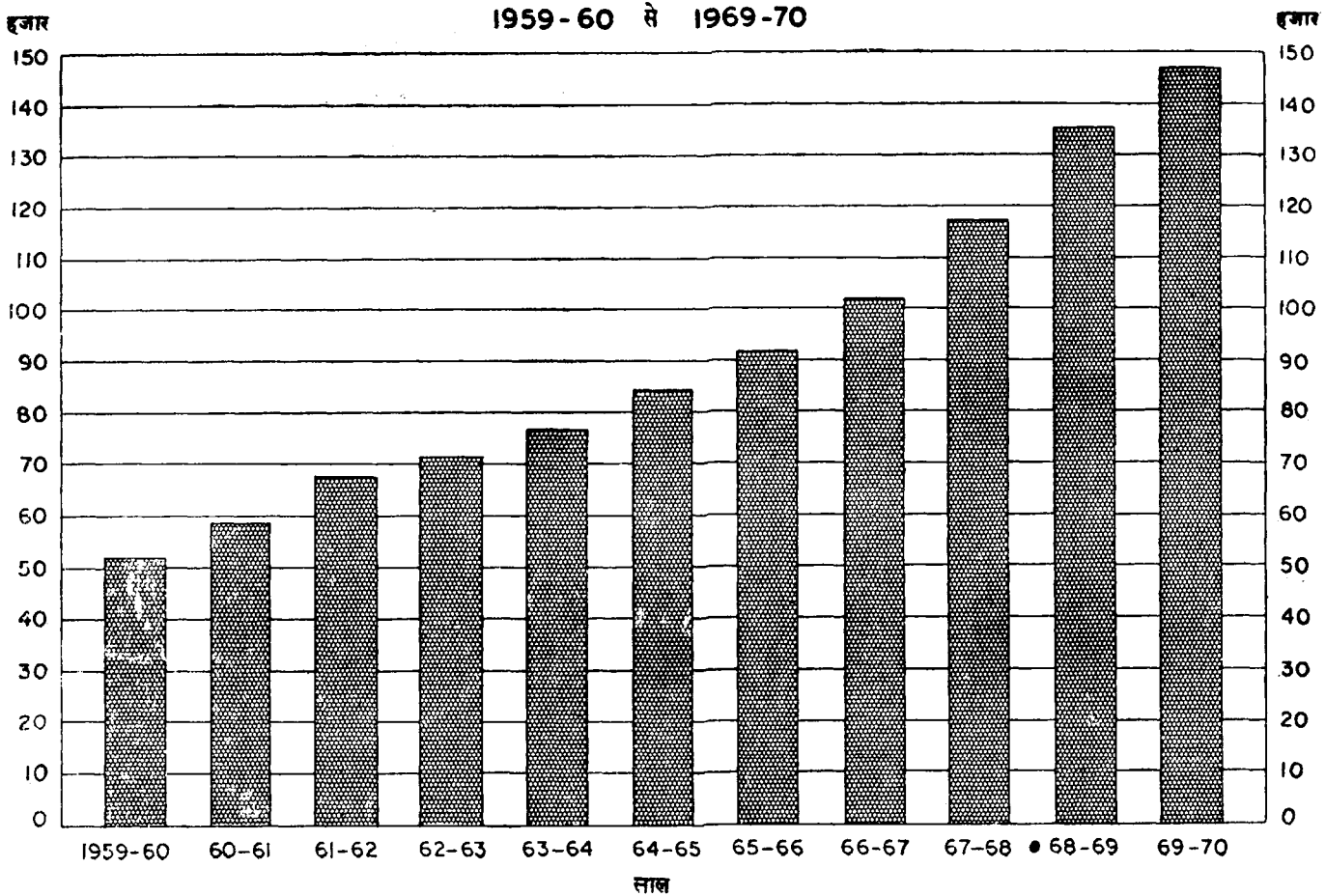

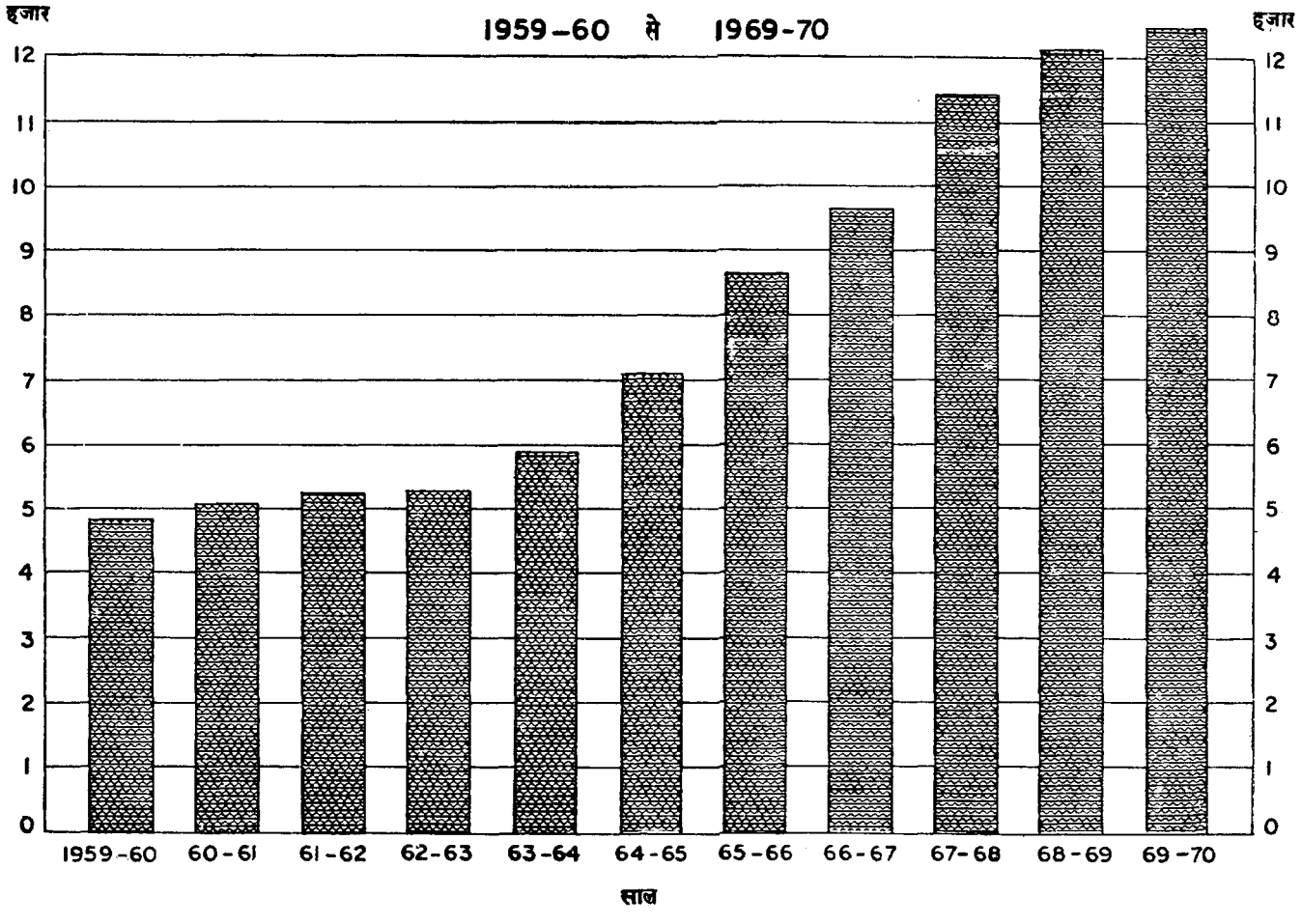
1959–60 से 1969-70
हजार
हजार
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1959-60
60-61
61-62
62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
साल

पद के अनुसार शिक्षकों का वितरण
1969-70

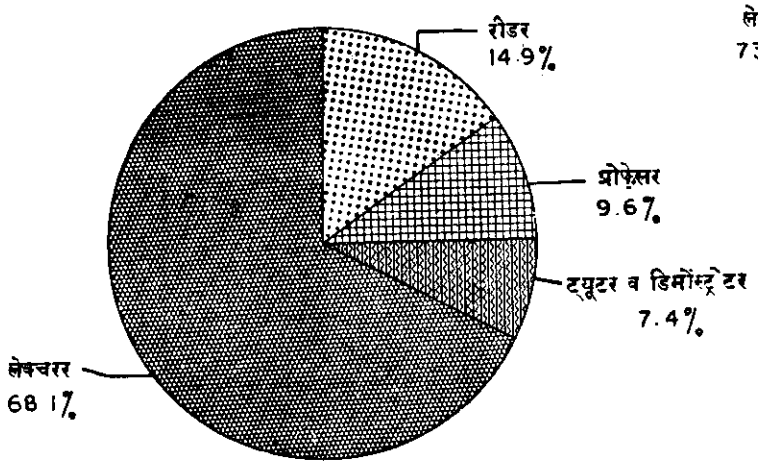

विश्वविद्यालय विभाग

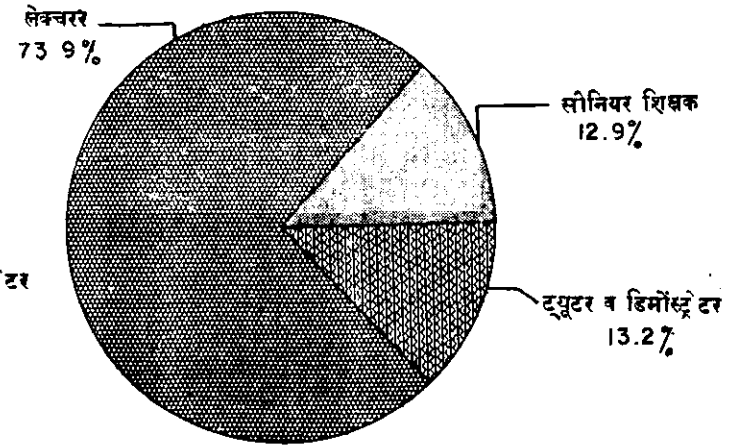

संबद्ध कालेज

शिक्षकों का संकायवार वितरण

1969-70

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B Sri Aurobindo Marg New Delhi-110016
DOC. No. D-6248
Date 8/7/91
NIEPA DC
D06248
National ★ LIBRARY ★